

आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. प्रो. टी बी सुब्बा,
कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. संजय राय,
समाजशास्त्र विभाग, एन बी यू | - | सदस्य |
| 3. डा. (श्रीमाती) लिली आले,
प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रेनौक | - | सदस्य |
| 4. डा. एन आर भुईयां
प्राचार्य, हिमालयन फार्मसी संस्थान,
माझीटार | - | सदस्य |
| 5. प्रो. ज्योति प्रकाश तामाड,
डीन, जीव विज्ञान स्कूल | - | सदस्य |
| 6. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान,
डीन, भाषाएँ एवं साहित्य का स्कूल | - | सदस्य |
| 7. प्रो. समीरा मैती,
डीन, मानविकी विज्ञान का स्कूल | - | सदस्य |
| 8. प्रो. देवब्रत मित्रा,
डीन, व्यवसायिक अध्ययन का स्कूल | - | सदस्य |
| 9. प्रो. ए एस चंदेल,
पुस्तकालयाध्यक्ष | - | सदस्य |
| 10. डा. धनीराज छेत्री,
डीन, छात्र कल्याण | - | सदस्य |
| 11. डा. एस के गुरुड,
परीक्षा नियंत्रक | - | सदस्य |
| 12. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद,
प्रमुख, अंग्रेजी विभाग | - | सदस्य |
| 13. डा. सुबीर मुखोपाध्याय,
प्रमुख, भौतिकी विभाग | - | सदस्य |
| 14. डा. नवल के पासवान,
प्रमुख, शांति तथा संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन
विभाग | - | सदस्य |

15. डा. वी कृष्णा अनंत, प्रमुख, इतिहास विभाग	-	सदस्य
16. डा. ए एन शंकर, प्रमुख, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
17. डा. एन सत्यनारायण, प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग	-	सदस्य
18. डा. एच के तिवारी, प्रमुख, माइक्रोबायोलॉजी विभाग	-	सदस्य
19. डा. मनेश चौबे, प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
20. डा. वी रामा देवी, प्रमुख, प्रबंधन विभाग	-	सदस्य
21. डा. दुर्गा प्रसाद छेत्री, प्रमुख, राजनीतिशास्त्र विभाग	-	सदस्य
22. डा. दिलीप कुमार दास, प्रमुख, पर्यटन विभाग	-	सदस्य
23. डा. एस मणिवन्नान, प्रमुख, होर्टीकल्चर विभाग	-	सदस्य
24. डा. कोत्रा राइने रामा मोहन, प्रमुख, एंथ्रोपोलोजी विभाग	-	सदस्य
25. डा. नूतनकुमार एस थिंगुजाम, प्रमुख, मनोविज्ञान विभाग	-	सदस्य
26. डा. शिलाजीत गुहा, प्रमुख, जन संचार विभाग	-	सदस्य
27. डा. अमिताभ भट्टाचार्या, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
28. श्री टी के कौल, रजिस्ट्रार	-	सचिव
29. श्री डी कानूनज़, सलाहकार(वित्त)	-	विशेष आमंत्रित

निम्नलिखित सदस्य अपनी पूर्व कार्यव्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके तथा अनुपस्थिति हेतु छुट्टी की याचना की।

1. प्रो. डी के नायक, भूगोल विभाग, पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय
2. डा. कविता लामा, प्रमुख, नेपाली विभाग
3. डा. मनीष, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग
4. डा. स्वाती अक्षय सचदेवा, प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग

आरंभ में कुलपति ने परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने निम्नलिखित सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत किया जिन्होंने बैठक में प्रथम बार भाग लिया था:

1. प्रो. समीरा मैती, डीन, मानव विज्ञान का स्कूल
2. प्रो. देवब्रत मित्रा, डीन, व्यवसायिक अध्ययन का स्कूल
3. डा. शिलाजीत गुहा, प्रमुख, जन संचार विभाग

तत्पश्चात, कार्यसूची मद पर निम्नानुसार चर्चा की गई:

भाग 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट का पुष्टिकरण

एसी16:1:1: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 जून 2014 को आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

शैक्षणिक परिषद की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों के बीच दिनांक 24 जून 2014 को परिचालित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 जून 2014 को आयोजित बैठक एवं सदस्यों के बीच दिनांक 24 जून 2014 को यथापरिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई थी।

एसी16:1:2: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 नवंबर 2014 को आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार से परिषद की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा परिषद की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को नोट किया।

भाग 2

संपुष्टि हेतु मामले

एसी16:2:1: एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस का परिशोधन

शैक्षणिक परिषद ने अपनी 15वीं बैठक में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के सेमेस्टर I से III तक के सिलेबसों का अनुमोदन किया था। सेमेस्टर IV हेतु सिलेबस में परिषद ने विसंगतियों की पहचान की थी जिसके लिए सलाह दी गई थी कि जीव विज्ञान स्कूल सेमेस्टर IV हेतु संशोधित एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस 15 दिनों की अवधि के अंदर प्रस्तुत करे। जीव विज्ञान स्कूल ने सुझाए गए समय-सीमा के अंतर्गत एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का संशोधित सिलेबस (सेमेस्टर IV) प्रस्तुत किया था तथा कुलपति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014-2015 से अनुपालनार्थ अनुमोदित किया गया था। परिषद ने कुलपति द्वारा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के सेमेस्टर IV हेतु संशोधित सिलेबस को अनुमोदित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की।

भाग 3

विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु मामले

एसी16:3:1: सम्बद्ध महाविद्यालयों में एमफिल/पीएचडी प्रोग्रामों की प्रस्तावना

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 जून 2014 को आयोजित इनकी 15वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर कुलपति ने प्रो. जे पी तामाड की अध्यक्षता में तथा डा. वी कृष्ण अनंत, डा. एन सत्यनारायण, डा. एन आर भुईयां एवं डा. प्रेमलता महापात्र के साथ सदस्य के रूप में एक समिति का गठन महाविद्यालयों में एमफिल/पीएचडी प्रोग्रामों की वांछनीयता का परीक्षण करने तथा इसकी संभाव्यता, इस उद्देश्य से संकाय सदस्यों की अर्हता, प्रयोगशालाजन्य सुविधाएं, यदि आवश्यक हो, एवं पुस्तकालय प्रतिधारण का अध्ययन करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट यह सुझाव देते हुए दी थी कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम आरंभ करने का यह उपयुक्त समय नहीं है।

विचार विमर्श के बाद परिषद ने यह निर्णय लिया कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव फिलहाल आस्थगित रखा जाए। इनके द्वारा सलाह भी दी गई कि महाविद्यालयों में प्रथमतः पीजी प्रोग्राम चलाया जाये एवं पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के साथ वे महाविद्यालय एमफिल/पीएचडी प्रोग्राम हेतु योग्य होंगे।

एसी16:3:2: बाह्य परीक्षकों के लिए अनुमोदन

निम्नलिखित विभागों के संबंध में बाह्य परीक्षकगण, जैसा कि संबन्धित विभागों द्वारा मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया है, परिषद द्वारा सत्र 2014-2015 के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए अनुमोदित किया गया:

1. नेपाली विभाग
2. प्रबंधन विभाग
3. वाणिज्य विभाग
4. शांति तथा संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग
5. अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग
6. इतिहास विभाग
7. अर्थशास्त्र विभाग
8. समाजशास्त्र विभाग
9. भूगर्भशास्त्र विभाग
10. रसायनशास्त्र विभाग
11. भौतिकी विभाग
12. भूगोल विभाग
13. पर्यटन विभाग
14. हॉर्टिकल्चर विभाग

एसी16:3:3: प्रस्तावित नए शैक्षणिक प्रोग्राम

परिषद को सूचित किया गया कि बीसीए-एमसीए एकीकृत प्रोग्राम संचालित करने के लिए 3-वर्षीय एमसीए का कम से कम एक बैच संचालित करना आवश्यक है, जिसके बाद 5-वर्षीय बीसीए-एमसीए प्रोग्राम चलाया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा एकीकृत बीसीए-एमसीए प्रोग्राम 2011 में एआईसीटीई अनुमोदन अथवा मानदंड के बिना आरंभ किया गया था। एआईसीटीई मानदंड के अनुसार बीसीए-एमसीए एकीकृत प्रोग्राम हेतु 11 संकाय सदस्यों, 4 प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी, ट्यूटोरियल कक्षाओं एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। विश्वविद्यालय ने पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए 9 संकाय सदस्य आवंटित किया,

जिनमें से सहायक प्रोफेसर के सिर्फ 4 पद भरे गए हैं। तथापि, अन्य अनिवार्यताओं का प्रावधान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना है। परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात बीसीए-एमसीए प्रोग्राम की निरंतरता समाप्त करने एवं अगले शैक्षणिक सत्र से सिर्फ एमसीए प्रोग्राम आरंभ करने का निर्णय लिया।

शिक्षा विभाग के लिए, परिषद को सूचित किया गया कि एमए (शिक्षा) प्रोग्राम वर्तमान में विभाग में चल रहा है। एमएड प्रोग्राम के लिए एनसीटीई से अनुमोदन की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें विभाग में कम से कम एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता है। चर्चा के बाद परिषद ने निर्णय लिया कि एमए (शिक्षा) प्रोग्राम जारी रहे तथा विश्वविद्यालय एमएड प्रोग्राम के लिए एनसीटीई से एमएड प्रोग्राम के अनुमोदन हेतु संपर्क करे।

परिषद ने यह भी निर्णय किया कि विश्वविद्यालय पर्यटन विभाग में एमटीटीएम प्रोग्राम हेतु एआईसीटीआई से अनुमोदन की मांग करे।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद प्रत्येक विभाग के विरुद्ध दिखलाए गए नए प्रोग्रामों का ऊपर दी गई सलाह के अनुसार अनुमोदन की शर्त पर, जहां कहीं आवश्यक हो, अनुमोदन किया:

क्र. सं.	विभाग	विद्यमान प्रोग्राम	वर्ष 2015 से प्रस्तावित नए प्रोग्राम
1	एंथ्रोपोलोजी	एमए/एमएससी	एमफिल/पीएचडी फॉरेसिकएंथ्रोपोलोजी में पीजी डिप्लोमा
2	कंप्यूटर एप्लिकेशन्स	बीसीए-एमसीए 5-वर्ष एकिकृत	3 वर्ष एमसीए
3	शिक्षा	एमए	एमएड, एमफिल/पीएचडी
4	हिन्दी	एमए	एमफिल
5	प्रबंधन	एमबीए	पीएचडी
6	गणित	एमएससी	एमफिल/पीएचडी
7	पर्यटन	एमए	पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन में मास्टर (एमटीटीएम) एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में
8	प्राणिविज्ञान	एमएससी	एमफिल/पीएचडी

एसी16:3:4: एम ए स्तर पर संस्कृत की प्रस्तावना

परिषद द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन एमए स्तर पर संस्कृत आरंभ किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किया गया :

प्रो. पी सी प्रधान	-	अध्यक्ष
डा. सुबीर मुखोपाध्याय	-	सदस्य
डा. ए एन शंकर	-	सदस्य
डा. सोहेल फिरदौस	-	सदस्य
डा. कृष्णा अनंत	-	सदस्य

समिति के अध्यक्ष ने प्रस्ताव के समर्थन में विभिन्न व्यक्तियों से कई लिखित सहमतियाँ संग्रहीत किया।

तथापि समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गई क्योंकि समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। अतः अध्यक्ष ने समिति के पुनर्गठन का अनुरोध किया।

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय से सूचना मँगवाने का निर्णय लिया जहां एमए (संस्कृत) संचालन में है वहाँ एमए स्तर पर संस्कृत का प्रोग्राम कैसा चल रहा है।

एसी16:3:5: शैक्षणिक कैलेंडर में संशोधन

परिषद के समक्ष यह सूचना लाई गई कि वर्तमान में अंतिम सेमेस्टर का परिणाम अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाता है। परिणाम घोषित होने के साथ छात्र विश्वविद्यालय से बाहर विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। करीब छह विभागों के छात्रों ने कुलपति से अंतर्क्रिया के दौरान अनुरोध किया है कि परिणाम 10 जुलाई तक घोषित कर दिया जाये। यह तभी संभव होगा जब हम सम सेमेस्टर 01 फरवरी से आरंभ करते हैं।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद निम्नानुसार शैक्षणिक कैलेंडर को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। तथापि परिवर्तित कैलेंडर अगले सत्र अर्थात् 2015-2016 से लागू होगा:

शैक्षणिक गतिविधि	तारीख/अवधि जैसा है	में परिवर्तित
सेमेस्टर I के प्रति नामांकन	जुलाई 16 से 30	मई 20 से जून 5
विषम सेमेस्टरों का आरंभ एवं समाप्ति (सेमेस्टर I, III, V आदि)	अगस्त 1-नवंबर 30	जुलाई 6-नवंबर 30
विषम सेमेस्टरों की परीक्षाएँ	दिसंबर 1-15	कोई परिवर्तन नहीं
शरद अवकाश का आरंभ एवं समाप्ति	दिसंबर 16 – फरवरी 15	दिसंबर 16- जनवरी 31
सम सेमेस्टर हेतु कक्षाओं का प्रारम्भ एवं समाप्ति (सेमेस्टर: II, IV, VI आदि)	फरवरी 16 – जून 30	फरवरी 1 – जून 5
सम सेमेस्टरों की परीक्षाएँ	जुलाई 1 - 15	जून 6 - 20
सेमेस्टर ब्रेक/ग्रीष्म अवकाश	जुलाई 20-30 (सेमेस्टर ब्रेक)	जून 21-जुलाई 5 (ग्रीष्म अवकाश)
अंतिम सेमेस्टर के परिणामों का प्रकाशन	अगस्त 15	जुलाई 10

एसी16:3:6: सिलेबस संबंधी मामले

A. बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम

शैक्षणिक परिषद ने अपनी 15वीं बैठक में विधि विभाग के वर्तमान बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम को बीबीए-एलएलबी से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था ताकि पेपर सेटिंग, मूल्यांकन तथा विधि महाविद्यालय बर्तुक एवं विधि विभाग सिविकम विश्वविद्यालय के बीच कैलेंडर की विसंगतियों से बचा जा सके। तथापि, प्रबंधन विभाग में उपलब्ध संकाय सदस्यों की

सीमित संख्या के कारण वर्तमान में बीबीए-एलएलबी आरंभ करना संभव नहीं होगा। बीबीए-एलएलबी के साथ भी यही मामला है क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग में भी संकाय की कमी महसूस की जा रही है।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद विश्वविद्यालय में फिलहाल बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम की निरंतरता का निर्णय लिया।

बीए-एलएलबी हेतु सिलेबस वर्ष 2008 में आंतरिक रूप से ड्राफ्टकृत, 2009 में अनुमोदित तथा वर्ष 2010 एवं 2011 में संशोधित किया गया था। विश्वविद्यालय ने अपने सभी यूजी पाठ्यक्रमों को जुलाई 2012 से सिर्फ ऑनर्स पाठ्यक्रम के रूप में ही चलाने का निर्णय किया। तदनुसार विश्वविद्यालय के बीए-एलएलबी सिलेबस की संरचना पर कुलपति के कार्यालय में दिनांक 19 एवं 20 सितंबर 2014 को, विधि महाविद्यालय के प्राचार्य एवं श्री छेवांग लामा इसी महाविद्यालय के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य के साथ आयोजित बैठक में पुनः कार्य किया गया। तदनुसार निम्नलिखित को अंगीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

- i. राजनीतिशास्त्र छः पेपरों के साथ एक मुख्य विषय के रूप में तथा इतिहास एवं समाजशास्त्र प्रत्येक तीन पेपरों के साथ लघु विषयों के रूप में।
- ii. वर्ष 2009 के पूर्व में अनुमोदित बीए-एलएलबी सिलेबस से लिए जाने वाले पेपरों में दो अतिरिक्त विधि पेपरों को शामिल करके कुल 52 पेपर बनाए जाएँगे।

अनुलग्नक-1 में यथाप्रस्तुत बीए-एलएलबी ऑनर्स पाठ्यक्रम की ड्राफ्ट विनियमावली पर चर्चा की गई तथा परिषद द्वारा अनुमोदित की गई।

B. संगीत विभाग में विशेषज्ञता अध्ययन

संगीत विभाग की स्थापना वर्ष 2011 में एक एकीकृत बीए-एमए (संगीत) प्रोग्राम के साथ हुई। इसे वर्ष 2012 में एकीकृत बीपीए-एमपीए (संगीत) प्रोग्राम में परिणत किया गया। विभाग द्वारा सिर्फ क्लासिकल वोकल एवं तबला में बीपीए स्तर पर विशेषज्ञता अध्ययन प्रस्तावित किया जा रहा है। कुलपति के साथ विभाग के छात्रों की एक अंतरक्रिया के दौरान उन्होंने सितार बांसुरी एवं वायोलिन में भी विशेषज्ञता की इच्छा जाहीर की। ऐसी विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षण देने के लिए संकाय उपलब्ध है तथा क्लासिकल वोकल के वर्तमान सिलेबस का उपयोग सितार बांसुरी एवं वायोलिन में बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद सितार बांसुरी एवं वायोलिन में भी विशेषज्ञता प्रस्तावित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

C. राजनीतिशास्त्र विभाग में विशेषज्ञता अध्ययन

राजनीतिशास्त्र विभाग के लागू सिलेबस में विशेषज्ञता का कोई पेपर नहीं था। परिषद द्वारा पूर्व में अनुमोदित पेपरों में से एक अथवा दो विशेषज्ञता के पेपर होने की संभावनाओं की खोज की गई। दो विशेषज्ञताएँ जिन्हें सेमेस्टर 3 एवं 4 में वर्तमान पेपरों में से एवं एक सेमेस्टर 2 में से बिना किसी पेपर के संयोजन किए या हटाए अथवा किसी पेपर की अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन किए बिना तैयार की जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राज्य एवं भारत में राजनीति है।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

एसी16:3:7: नेपाली पुस्तकों एवं जर्नलों में आईएसएसएन/ आईएसबीएन हेतु छुट

यह रिपोर्ट की गई कि नेपाली में कुछ बहुत उच्च गुणता की पुस्तकें एवं जर्नल हैं परंतु उनमें आईएसएसएन अथवा आईएसबीएन संख्या नहीं होने के कारण इनके लेखक एपीआई संग्रहित करने में अक्षम हैं। कुछ हिन्दी जर्नलों के बारे में भी ऐसी ही रिपोर्ट की गई।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद उल्लेख किया कि यूजीसी विनियमावली 2010 में छुट से संबन्धित कोई खंड नहीं है। तथापि, विभाग जर्नलों की एक सूची परिषद के विचारार्थ तैयार कर सकता है। परिषद ने अन्य विश्वविद्यालयों से नेपाली एवं हिन्दी के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने अथवा लेखन-सहयोगकर्ताओं को जर्नलों से आईएसएसएन संख्या हेतु आवेदन करने का अनुरोध करने का भी सुझाव दिया जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

एसी16:3:8: मास्टर डिग्री अवार्ड किए जाने के लिए एक माह की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

राष्ट्रीय सामाजिक सेवा मूल्य आधारित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है परंतु यह अभी तक विश्वविद्यालय की पाठचर्या से सम्बद्ध नहीं किया गया है। अतः अधिकांश छात्रगण राष्ट्रीय सेवा में भाग नहीं लेते हैं। एक नवीकरणीय कदम के रूप में यह सुझाव दिया गया कि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के बीच शरद अवकाश के दौरान उनके ग्राम/शहर में एक माह की सामाजिक सेवा को मास्टर डिग्री की पाठचर्या का अनिवार्य अंग बनाया जाये। क्षेत्रकार्य/ इंटरशिप वांछनीयता, यदि कोई हो, तो 3रे एवं 4थे सेमेस्टर के बीच शरद अवकाश के दौरान पूरा किया जाये। चर्चा के बाद शैक्षणिक परिषद ने कार्यसूची में दिये गए निम्नलिखित सुझावों का अनुमोदन किया:

1. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के बीच शरद अवकाश के दौरान उनके संबन्धित ग्राम/ शहर में एक माह की सामाजिक सेवा को मास्टर डिग्री की पाठचर्या का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।
 2. छात्रों का क्षेत्रकार्य/ इंटरशिप, यदि कोई हो, 3रे एवं 4थे सेमेस्टर के बीच शरद अवकाश के दौरान पूरा किया जाना चाहिए।
 3. जिन छात्रों के लिए पाठचर्या के एक अंग के रूप में क्षेत्रकार्य/ इंटरशिप नहीं है वे द्वितीय शरद अवकाश के दौरान भी सामाजिक कार्य करें।
 4. उनके द्वारा की गई सामाजिक सेवा की रिपोर्ट का मूल्यांकन विभाग के संकाय सदस्यों के द्वारा कुल चार क्रेडिट अथवा 100 अंकों के विरुद्ध किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के रीति एवं ढंग एनएसएस को-ऑर्डिनेटर द्वारा प्रस्तावित किया जाये।
- डा. कृष्णा अनंत ने असहमति व्यक्त किया क्योंकि वे इसे मास्टर डिग्री की पाठचर्या का अनिवार्य अंग बनाने के लिए सहमत नहीं हुए। इसके बदले में उनकी राय इसे एक वैकल्पिक अंग बनाने की थी।

एसी16:3:9: एमफिल एवं पीएचडी हेतु प्लेज्यरिज्म-रोधी जांच

परिषद ने विचार विमर्श के बाद अनुमोदित किया कि अपना पीएचडी शोधप्रबंध प्रस्तुत करने के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को इसे प्लेज्यरिज्म-रोधी जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा,

तथा शोधप्रबंध के साथ इसकी रिपोर्ट मूल्यांकन हेतु संलग्न करना होगा। चूंकि प्लेज्यरिज्म-रोधी सॉफ्टवेयर में उद्धरण एवं संदर्भ प्लेज्यकृत के रूप में सम्मिलित हैं, अतः परिषद द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन सहनशीलता की सीमा के अंतर्गत प्लेज्यरिज्म का विस्तार सुझाए जाने तथा इसके लिए रीति एवं ढंग निर्धारित किए जाने के लिए किया गया। इन्फोनेट से एक विशेषज्ञ भी प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया जाये:

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| 1. प्रो. ए एस चंदेल | - | अध्यक्ष |
| 2. डा. एन सत्यनारायण | - | सदस्य |
| 3. डा. सुबीर मुखोपाध्याय | - | सदस्य |
| 4. डा. वी कृष्णा अनंत | - | सदस्य |

एसी16:3:10: एमफिल एवं पीएचडी प्रोग्रामों पर मार्गदर्शन

कार्यसूची मद में प्रस्तावित एमफिल एवं पीएचडी प्रोग्रामों के लिए मार्गदर्शन पर चर्चा की गई। कुछ स्थानों पर सदस्यों द्वारा संशोधन भी सुझाए गए। विचार विमर्श एवं सुझावों के समावेशन के पश्चात परिषद ने इन मार्गदर्शनों को एमफिल एवं पीएचडी प्रोग्रामों के लिए नियमावली के रूप में अनुमोदित किया। ये इन कार्यवृत्त के साथ **अनुलग्नक-2** एवं **अनुलग्नक-3** के रूप में दिये गए हैं।

एसी16:3:11: इंटरशिप पर नियमावली

कार्यसूची में यथाप्रस्तावित इंटरशिप हेतु नियमावली परिषद के द्वारा एक अल्प सुझाव के समावेशन के साथ अनुमोदित किया गया। ये इन कार्यवृत्त के साथ **अनुलग्नक-4** के रूप में दिया गया है।

जहां तक कि दैनिक भुगतान दर का संबंध है, परिषद ने विश्वविद्यालय को अतिरिक्त रु.100 एवं रु.50 के प्रभाव को आकलित करने एवं परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करने की सलाह दी।

एसी16:3:12: बी.वीओसी फ्रेमवर्क के बाहर से आने वाले छात्रों के साथ समान व्यवहार

परिषद ने विचार विमर्श के बाद अनुमोदित किया कि बी.वीओसी फ्रेमवर्क के बाहर से आने वाले छात्रों की पहचान अन्य प्रोग्रामों के समतुल्य की जानी चाहिए तथा वोकेसनल छात्रों के साथ सामान्य पाठ्यक्रम के छात्रों के परिप्रेक्ष्य में नामांकन आदि के संबंध में कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए।

एसी16:3:13: अंतर-शास्त्रीय एवं सामाजिक रूप से संगत अनुसन्धानों के लिए एक समग्र निधि

विश्वविद्यालय द्वारा कार्यसूची में दिये गए मार्गदर्शन के अनुसार विश्वविद्यालय के युवा संकाय सदस्यों के लिए अंतर-शास्त्रीय एवं सामाजिक रूप से संगत अनुसन्धानों में निधि-प्रदायता के उपयोग हेतु रु.17.18 लाख की एक समग्र निधि सृजित की गई है। इन मार्गदर्शनों पर डीन की समिति की दिनांक 31 जुलाई 2014 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी। विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने मार्गदर्शन के खंड 1 से 10 तक का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया। तथापि खंड 11 एवं 12 के लिए, यह निर्णय लिया गया कि इसे डीन की समिति के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस किया जाये।

एसी16:3:14: संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में भागीदारी हेतु मार्गदर्शन

वर्तमान में संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में भाग लिए जाने के लिए कोई मानदंड नहीं है। संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भागीदारी हेतु डीन की समिति के द्वारा इनकी दिनांक 31 जुलाई 2014 को आयोजित बैठक में

विधिवत अनुशंसित मार्गदर्शन पर विचार विमर्श किया गया। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि श्रेणी 'ए-सामान्य' मार्गदर्शन के खंड 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाये:

“किसी भी संकाय सदस्य को एक वर्ष में संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं आदि में 14 दिनों से अधिक की भागीदारी की अनुमति, विश्वविद्यालय निधि-प्रदायता के साथ अथवा बिना नहीं दी जाएगी। यह निर्धारण छुट्टियों अथवा अवकाश के दौरान उनकी भागीदारी पर लागू नहीं होगा”।

उपरोक्त संशोधन के साथ, संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की भारत एवं विदेश में संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में भागीदारी समर्थित करने के लिए प्रस्तावित मार्गदर्शन परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन मार्गदर्शनों को इस कार्यवृत्त के साथ अनुलग्नक-5 के रूप में रखा गया है।

एसी16:3:15: शुल्क संरचना में विसंगति

परिषद को सूचित किया गया कि एमए (पर्यटन), एमए (शिक्षा) एवं एम.कॉम हेतु शुल्क संरचना शैक्षणिक सत्र 2013-2014 एवं 2014-2015 के लिए भिन्न-भिन्न थी। शुल्क संरचना में विसंगति होने का कारण वर्ष 2013-2014 के दौरान इन पाठ्यक्रमों का व्यवसायिक पाठ्यक्रम के रूप में श्रेणीकृत किया जाना था। तथापि शैक्षणिक परिषद ने अपनी 14वीं बैठक एवं कार्यकारी परिषद ने अपनी 18वीं बैठक में इन पाठ्यक्रमों को गैर-व्यवसायिक पाठ्यक्रम माना। अतः इन पाठ्यक्रमों के लिए लगाई गई शुल्क संरचना को विश्वविद्यालय के अन्य पारंपरिक प्रोग्रामों के समतुल्य रखा गया। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013-2014 के एमए (शिक्षा) एवं एम.कॉम. छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क को वसंत सेमेस्टर 2014 से वापस लिया। तथापि, 2013-2014 बैच के एमए (पर्यटन) के लिए शिक्षण शुल्क वापस नहीं लिया गया।

परिषद ने वर्ष 2013-2014 के एमए (शिक्षा) एवं एम.कॉम. के छात्रों के शिक्षण शुल्क को वसंत सेमेस्टर 2014 से वापस लिए जाने की कारवाई की संपुष्टि की। इसके द्वारा वर्ष 2013-2014 के एमए (पर्यटन) के छात्रों के शिक्षण शुल्क को भी वसंत सेमेस्टर 2014 से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया ताकि इसे पारंपरिक प्रोग्रामों के समकक्ष बनाया जा सके। परिषद ने 2013-2014 बैच के एमए (पर्यटन) एमए (शिक्षा) एवं एम.कॉम. के छात्रों के प्रति क्षेत्र अध्ययन/ भ्रमण के रूप में उनके पाठ्यक्रम-अध्ययन के दौरान शुल्क संरचना में भिन्नता के कारण उनसे प्रभारित की गई अधिक शुल्क की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का भी अनुमोदन किया।

एसी16:3:16: सिविक विश्वविद्यालय के करचारियों (शिक्षण एवं गैर-शिक्षण) के लिए केंद्रीय सरकार नियमावली का अंगीकरण

परिषद ने विचार विमर्श के बाद कर्मचारियों (शिक्षण एवं गैर-शिक्षण) के लिए निम्नलिखित केंद्रीय सरकार नियमावली की कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की, जहां कहीं भी प्रावधान हमारे अधिनियम/ सांविधियों/ अध्यादेशों /विनियमावली में अनभिव्यक्त हैं।

1. सामान्य वित्तीय नियमावली
2. मौलिक नियमावली
3. अनुपूरक नियमावली
4. केंद्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली

भाग 4

अध्यक्ष महोदय की ओर से मर्दे

एसी16:4:1: महाविद्यालय विकास परिषद के कार्यवृत्त

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को आयोजित 2री बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा सीडीसी की निम्नलिखित अनुशंसाओं का अनमोदन किया:

1. कुलपति द्वारा मुख्या. 63 माउन्टेन ब्रिगेड द्वारा 99 सै.डा.घ. द्वारा संचालित शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए चाइनीज भाषा में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के प्रति अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की कार्रवाई की संपुष्टि की।
2. कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ महाविद्यालय विकास परिषद पर ड्राफ्ट सांविधि की अनुशंसा की गई जिसकी संख्या 14ए के रूप में दी जानी है तथा इसे सांविधि 14 एवं 15 के बीच रखा जाना है। ड्राफ्ट सांविधि 14ए को इस कार्यवृत्त के साथ **अनुलग्नक-6** के रूप में रखा गया है।
3. डंबर सिंह महाविद्यालय एवं पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय पर विशेष निरीक्षण दल रिपोर्टों पर सीडीसी की अनुशंसाओं का निम्नानुसार अनुमोदन किया:
 - i) डंबर सिंह महाविद्यालय को यूजीसी मानदंडों को पूरा करने के लिए संकाय सदस्यों की भर्ती के प्रति दो वर्ष का समय प्रदान किया जाए।
 - ii) पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय को वर्ष 2015 में छात्रों के नामांकन करने से मनाही की जाये तथा महाविद्यालय को 2016 में असम्बद्ध किया जा सकता है, यदि यह संबद्धता की न्यूनतम अनिवार्यताओं की पूर्ति नहीं करता है।
4. असम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणता के अनुरक्षण हेतु अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया। 4थे सुझाव के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि सम्बद्ध महाविद्यालयों को व्यावहारिक परीक्षा के संबंध में भुगतान मानदंडों का अनुपालन करने के लिए लिखा जाये।

एसी16:4:2: स्कूल बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त

A. मानविकी विज्ञान का स्कूल

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- i) वर्ष 2015 से एमफिल एवं पीएचडी प्रोग्रामों तथा फॉरेंसिक एंथ्रोपोलोजी में पीजी डिप्लोमा की प्रस्तावना।
- ii) भूगोल विभाग में 3 पीएचडी एवं 6 एमफिल तथा उनके पर्यवेक्षकों का प्रस्ताव
- iii) भूगोल विभाग में प्रस्तुत किए गए एमफिल शोधप्रबंधों के लिए परीक्षकों का पैजल

B. भौतिक विज्ञान का स्कूल

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- i) भौतिकी विभाग में 1 पीएचडी प्रस्ताव तथा पर्यवेक्षक
- ii) भौतिकी विभाग में प्रस्तुत किए गए एमफिल शोध-प्रबंधों एवं व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों का एक पैनल
- iii) परिषद ने भौतिकी विभाग में पाठ्यक्रम कार्य के समापन के बाद एक पीएचडी छात्र के प्रति 6 माह के लिए अस्थाई विच्छेद हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया।
- iv) कंप्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग के वर्ष 2015 से 3-वर्षीय एमसीए प्रोग्राम आरंभ करने के प्रस्ताव
- v) रसायनशास्त्र विभाग के एक एमफिल छात्र के पर्यवेक्षक को परिवर्तित करने का प्रस्ताव क्योंकि पर्यवेक्षक को लंबी छुट्टी स्वीकृत की गई थी।

C. जीव विज्ञान का स्कूल

- i) परिषद ने होर्टीकल्चर विभाग से संबन्धित एक पीएचडी छात्र को पंजीकरण हेतु एक आपवादिक मामले के रूप में डीन द्वारा अनुमति दिये जाने की कार्रवाई की संपुष्टि की गई। परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि स्कूल बोर्ड एमफिल एवं पीएचडी उपाधियों के लिए प्रवृत्त सभी प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए अंतिम निकाय है।

भाग 5

अध्यक्ष महोदय की ओर से मर्दाने

एसी16:5:1: जीबीपीआईएचडी, अलमोदा एवं ओकेडीआईएससीडी, गुवाहाटी से संबद्धता हेतु प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तावों का अध्ययन करने तथा अपनी अनुशंसाएँ परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने को प्राधिकृत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई।

हस्ता/-
(टी के कौल)
रजिस्ट्रार एवं सचिव

हस्ता/-
(टी बी सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष

सिक्किम विश्वविद्यालय

बीए-एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम हेतु ड्राफ्ट विनियमावली

कार्यकारी परिषद द्वारा अन्यथा निर्णीत विनियमावली एवं नियमावली में अन्यत्र अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, एतद्वारा यह उपबंधित किया जाता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स तथा बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स), सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक 5-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम का संचालन निम्नलिखित विनियमावली के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस विनियमावली का निर्माण सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30 के अंतर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

1. इस विनियमावली का नाम बीए-एलएलबी (ऑनर्स), एक पाँच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु विनियमावली होगा।
2. यह विनियमावली विषम सेमेस्टर 2014 से प्रवृत्त होगी।
3. इसमें अध्ययन हेतु एक पाठ्यक्रम होगा जिसकी परिणति बीए-एलएलबी (ऑनर्स) डिग्री में होगी। पाठ्यक्रम की अवधि 10 सेमेस्टरों के साथ 5 वर्षों की होगी, अर्थात् सेमेस्टर I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX एवं X तथा इसमें नामांकित अभ्यर्थीगण पूर्णकालिक छात्र होंगे। सिक्किम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एवं इस पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले महाविद्यालय पूर्णकालिक दिवसीय महाविद्यालय होंगे।
4. इस पाठ्यक्रम में नामांकन को इच्छुक अभ्यर्थीगण केंद्र अथवा राज्य सरकार के शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त 10+2 स्कूली पाठ्यक्रम में अंतिम परीक्षा पूर्णयोग में न्यूनतम सामान्य वर्ग के लिए 45% अंक एवं एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक के साथ अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
5. इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्र सामान्य वर्ग के आवेदकों के मामले में अधिकतम 20 वर्ष तथा एससी/एसटी एवं ओबीसी के मामले में 22 वर्ष है।
6. इस पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थियों के लिए 10 सेमेस्टर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, जो कि प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में आयोजित की जाएगी।
7. छात्रों को प्रत्येक विषय में साथ ही ट्यूटोरियल्स में व्याख्यानो में न्यूनतम 75% की उपस्थिति अनुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
बशर्ते कि आपवादिक मामले में, अभिलेखन योग्य कारणों से, संबंधित स्कूल के डीन अथवा संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति कमी में 5% की माफी दे सकते हैं।
8. इस पाठ्यक्रम के लिए विषय एवं पेपर के नाम प्रत्येक सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने पर अधिसूचित किया जाएगा। विश्वविद्यालय को विधि में अध्ययनों के बोर्ड एवं भारत के बार काउंसिल की अनुशंसाओं पर समय-समय पर पाठ्यक्रम संरचना के प्रति संशोधन एवं परिशोधन का विवेकाधिकार होगा।
9. प्रत्येक सेमेस्टर सामान्यतः छः महीने की अवधि का होगा।
10. सभी उतार-पुस्तिकाएँ मात्र अंग्रेजी में लिखी जाएगी।
11. किसी अभ्यर्थी को बीए, एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण करना होगा।
12. जिस अभ्यर्थी ने सेमेस्टर I में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम को जारी रखा है उसे इसकी परीक्षा में

- प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि वह परीक्षा प्रपत्र एवं ऐसे प्रपत्र के साथ वांछित अन्य अनिवार्यताओं को ऐसे समय के अंतर्गत विधिवत भरता है जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाए।
13. क) कोई अभ्यर्थी जो सेमेस्टर I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, एवं X की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तथा सेमेस्टर I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम को जारी रखता है जैसा कि मामला हो, उसे संबन्धित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि वह परीक्षा प्रपत्र एवं ऐसे प्रपत्र के साथ वांछित अन्य अनिवार्यताओं को ऐसे समय के अंतर्गत विधिवत भरता है जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाये।
- ख) अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की सूची जिन्होंने सेमेस्टर I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX एवं X की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की है जैसा कि मामला हो, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के बाद यथासंभव शीघ्र प्रकाशित की जाएगी।
14. क) यदि कोई अभ्यर्थी किसी सेमेस्टर में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में भाग लेने के बाद संबन्धित सेमेस्टर परीक्षा में एक अभ्यर्थी के रूप में नामांकित करवाने में असफल रहता है अथवा परीक्षा में उपस्थित रहने में असफल रहता है अथवा उपस्थित होता है परंतु बीमारी के कारण सभी पेपरों में नहीं बैठ पाता है अथवा एक या अधिक पेपरों में फेल हो जाता है अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पर्याप्त माने जाने वाले अन्य किसी कारण के लिए, वह अगली संगत परीक्षा में एक अथवा सभी पेपरों में उपस्थित होने के योग्य होगा/होगी।
- ख) ऐसे मामले में उन्हें नियमित कक्षाओं में भाग लेना एवं आवधिक जांच परीक्षाओं, यदि कोई हो में भाग लेना आवश्यक नहीं होगा।
15. क) किसी सेमेस्टर में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी अभ्यर्थी को पूर्णयोग में 45% अंक अवश्य प्राप्त करना होगा बशर्ते कि अभ्यर्थी प्रत्येक पेपर में 40% अंक प्राप्त करता है।
- ख) यदि कोई अभ्यर्थी किसी सेमेस्टर परीक्षा में पूर्णयोग में 45% अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे अगली संगत सेमेस्टर परीक्षा में कुल पूर्णयोग अंकों की कमी को पूरा करने की अनुमति होगी।
- ग) पुनरावृत्त परीक्षा के लिए किसी पेपर में अनुपस्थिति उस पेपर में असफलता आँकी जाएगी।
16. क) सभी अभ्यर्थिगण पूर्ववर्ती सेमेस्टर की परीक्षा के बाद वर्ष के अगले सेमेस्टर वर्ग में प्रोन्नत किए जाएँगे चाहे उस सेमेस्टर में उनके द्वारा प्राप्त अंक कुछ भी हो।
- ख) उपरोक्त विनियमावली शेष सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रति लागू होगी।
- ग) सभी दस सेमेस्टर परीक्षाओं में पूर्णयोग में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाला कोई अभ्यर्थी, कुल मिलाकर, प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा तथा पूर्णयोग में 45% अथवा इससे अधिक एवं 60% से कम अंक प्राप्त करने वाला द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा।
- घ) 12 मुख्य एवं लघु पेपर तथा 20 विधि पेपरों, 4 प्रैक्टिकल पेपरों, 6 वैकल्पिक पेपरों एवं 3 अंग्रेजी पेपरों सहित, 45 पेपरों परंतु 52 से कम में उत्तीर्ण होने वाले किसी अभ्यर्थी को मात्र बीए-एलएलबी (पास) डिग्री प्रदान की जाएगी।
17. विश्वविद्यालय द्वारा गठित विधि में अध्ययनों का स्कूल पेपर सेटर्स परीक्षकों एवं मोडरेटर्स के नामों

की एक सूची की अनुशंसा करेगा।

18. सभी सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए परीक्षकगण स्थायी अथवा संविदा-जन्य नियुक्ति पर कम से कम पूर्णकालिक सहायक प्रोफेसर होंगे। पूर्व-विधि पेपरों अर्थात् सामाजिक विज्ञान पेपरों के परीक्षकगण भी कम से कम सहायक प्रोफेसर के स्तर पर पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक संकाय सदस्य होंगे।

18. पाठ्यक्रम में प्रत्येक पेपर 100 अंकों, अर्थात् 4 क्रेडिट का होगा। प्रत्येक सैद्धान्तिक पेपर के लिए 70 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंक आंतरिक लिखित मूल्यांकन पर आवंटित किए जाएँगे। लिखित मूल्यांकन का प्रतिपादन निम्नानुसार होगा:

ए) परियोजना कार्य: 20 अंक

बी) परियोजना प्रस्तुतीकरण: 5 अंक

सी) कक्षा निष्पादन: 5 अंक

19. सेमेस्टर-V से अनुमोदित पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार एक सेमिनार विधि पाठ्यक्रम एवं एक उपचारात्मक विधि पाठ्यक्रम होंगे तथा सेमिनार विधि पाठ्यक्रम एवं उपचारात्मक विधि पाठ्यक्रम की श्रेणी में आने वाला प्रत्येक पेपर 100 अंक अर्थात् 4 क्रेडिट का होगा। इन पेपरों में से प्रत्येक में छात्र के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन संबन्धित शिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्य-निर्धारण के माध्यम से होगा।

20. सेमेस्टर-X में, ऑनर्स विधि पाठ्यक्रम की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला पेपर सेमिनार विधि पाठ्यक्रम के रूप में माना जाएगा तथा इनमें सेमिनार विधि पाठ्यक्रम से संबन्धित नियमावली लागू होगी।

21. किसी सेमेस्टर परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का प्रकाशन-पश्चात् पुनर्मूल्यांकन होगा। छात्रगण संबन्धित एचओडी/प्राचार्य के माध्यम से प्रकाशन-पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा नियंत्रक के प्रति आवेदन कर सकते हैं तथा संबन्धित सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर विहित शुल्क(परीक्षा शुल्क के समान) का भुगतान कर सकते हैं।

22. यदि कोई मामला इस विनियमावली के अंतर्गत व्याप्त नहीं होता है, तो विश्वविद्यालय का कुलपति अधिनियम/ सांविधियों/ अध्यादेशों के अनुरूप निर्देश जारी करके कठिनाई को दूर करने के लिए शक्ति सम्पन्न होंगे।

23. यह नियमावली सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा यथाअंगीकृत एवं अधिसूचित भारत के बार काउंसिल के निर्देशानुसार परिवर्तित किए जाने की शर्त पर हैं।

24. यह नियमावली समय-समय पर लागू किए जाने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के अधिनियम सांविधियों एवं अध्यादेश के प्रावधानों की शर्त पर है।

सिक्किम विश्वविद्यालय

मास्टर ऑफ फिलोसोफी पर नियमावली

सिक्किम विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में एवं अंतर-शास्त्रीय क्षेत्रों में अनुसंधान प्रोग्राम प्रस्तावित करता है जिनकी परिणति मास्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री में होती है। विभाग के उन सभी संकाय सदस्यों को मिलाकर विभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी) जो एमफिल छात्रों को मार्गदर्शन देने के योग्य हैं, डिग्री के प्रति कार्यरत किसी अभ्यर्थी का चुनाव, प्रगति एवं अवार्ड का सर्वेक्षण करते हैं। योग्यता, प्रवेश परीक्षा, अन्तर्वार्ता, पंजीकरण, पर्यवेक्षण, शोधप्रबंध का प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन, मौखिक जांच, शोधप्रबंध की प्रतिरक्षा आदि के संबंध में नियमावली निम्नानुसार होगी:

1. योग्यता

एमफिल प्रोग्राम में नामांकन हेतु, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को योग्य माना जाएगा : संबन्धित विषय अथवा ऐसे विषयों में मास्टर डिग्री परीक्षा कम से कम 55% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड पॉइंट एवरेज (जीपीए) के साथ उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तिगण जो कि उस वर्ष की संदर्शिका में अधिसूचित किए गए हैं। एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों से संबन्धित छात्रों के लिए अनुमति-योग्य 5% अंकों की छूट है।

2. प्रवेश परीक्षा के संचालन हेतु पद्धति

प्रवेश परीक्षा सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए अनिवार्य है तथा इसका संचालन सामान्यतः वर्ष में एक बार जुलाई महीने में किया जाएगा।

3. लिखित परीक्षा:

लिखित परीक्षा का संचालन सीओई द्वारा 90 मिनटों के लिए किया जाएगा तथा उत्तरों का मूल्यांकन 50 अंकों के विरुद्ध किया जाएगा। क्या और कितने प्रश्न पुछे जाएँगे इसका निर्धारण डीआरसी करेगी तथा उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए भी यह उत्तरदाई होगी।

4. अन्तर्वार्ता

अन्तर्वार्ता सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है तथा इसका अंक-निर्धारण कुल 50 अंकों के विरुद्ध किया जाएगा। अन्तर्वार्ता का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि कोई अभ्यर्थी उनके द्वारा प्रस्तावित किए गए क्षेत्र(ओं) में अनुसंधान के अनुसरण के प्रति कितना उत्सुक है। अन्तर्वार्ता समिति में एचओडी/ प्रभारी सहित कम से कम तीन सदस्य होंगे और जहां एचओडी/ प्रभारी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ संबन्धित डीन उपस्थित रहेंगे। यदि किसी विभाग में अन्तर्वार्ता समिति के गठन के लिए तीन से कम योग्य सदस्य हैं तो यह स्कूल के अंतर्गत से किसी के लिए अनुरोध कर सकता है। कम से कम एमफिल डिग्री वाले संकाय सदस्य ही अन्तर्वार्ता बोर्ड में सदस्य रहेंगे।

5. नामांकन

लिखित परीक्षा साथ ही अन्तर्वार्ता में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा मूल्यांकन समाप्त होने के तत्काल बाद विभाग प्रमुख द्वारा इसे अधिसूचित की जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची (i) डीन, (ii) रजिस्ट्रार, (iii) परीक्षा नियंत्रक एवं (iv) वित्त अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के अंतर्गत विहित शुल्क के भुगतान करने पर अस्थाई रूप से पंजीकृत किया जाना आवश्यक होगा।

अभ्यर्थियों को नामांकन दिये जाने के दौरान, विभाग भारत सरकार की आरक्षण नीति पर उचित ध्यान देगा।

नियोजित अभ्यर्थिगण, यदि नामांकित किए जाते हैं, इस आशय का साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करेंगे जो दिखलाता हो कि उन्हें इस प्रोग्राम की सम्पूर्ण अवधि के लिए छुट्टी प्रदान की गई है।

विदेशी अभ्यर्थियों का नामांकन 10% की सीमा तक आधिसंख्य सीटों के विरुद्ध होगा। चूंकि उनके लिए सामान्यतः यहाँ आना एवं लिखित परीक्षा-सह-अन्तर्वार्ता में भाग लेना संभव नहीं होगा अतः उन्हें नामांकन प्रदान किया जा सकता है यदि डीआरसी उनके प्रमाण-पत्रों को संतोषजनक क्रम में पाता है। यदि योग्य अभ्यर्थियों की प्रतिशतता 10 से अधिक है तो उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जायेगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, एवं पाकिस्तान में रहने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन प्रदान किए जाने से तब तक बचा जाये जबतक कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत सरकार द्वारा विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट रूप से अनुशंसित न हो। आरंभ में उन्हें अस्थाई नामांकन प्रमाण पत्र जारी किया जाये। उन्हें अंतिम नामांकन अध्ययन की अवधि हेतु वैध छात्र वीजा, यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र कि उन्हें कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, तथा निधि प्रदायता का श्रोत प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जाये।

6. पाठ्यक्रम कार्य

12 क्रेडिटों का एक एक-सेमेस्टर पाठ्यक्रम कार्य प्रोग्राम में नामांकन ग्रहण करने के बाद अनिवार्य है। इन क्रेडिटों का वितरण निम्नानुसार होगा:

- i. अनुसंधान प्रविधि हेतु 4 क्रेडिट में, जो कि अनिवार्य है, संख्यात्मक तकनीकियां एवं कंप्यूटर के प्रयोग का ज्ञान सम्मिलित किए जा सकते हैं।
- ii. 4 क्रेडिट अनुसंधान के उस क्षेत्र में वर्तमान प्रगतियों के प्रति निर्धारित होगा जिसमें कि अभ्यर्थी को नामांकन दिया जाता है।
- iii. 4 क्रेडिट गैर-व्याख्यान आधारित एक पेपर के लिए निर्धारित होगा जिसमें अभ्यर्थिगण साहित्य की समीक्षा करते हैं अपने अनुसंधान अभिरुचि के क्षेत्र में एक अनुसंधान प्रस्ताव लिखते हैं, तथा सेमेस्टर के अंत में एक सेमिनार देते हैं। इस पेपर के लिए कोई आवधिक जांच तथा कोई उपस्थिति अनिवार्यता नहीं होगी परंतु अन्य दो पेपरों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन विभाग के संकाय के संबन्धित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। चयनित छात्रों को पाठ्यक्रम कार्य के दौरान शैक्षणिक भाषा में आलोचनात्मक सोच एवं सम्प्रेषण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

पंजीकरण हेतु योग्य होने के लिए किसी छात्र को पाठ्यक्रम कार्य में 'ए' अथवा 6.0 एसजीपीए का अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

पाठ्यक्रम कार्य में 'ए' अथवा 6.0 एसजीपीए अर्जित कर पाने में असफल अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम कार्य के परिणाम के घोषणा की तारीख से एक महीने के अंदर सिर्फ पेपर । एवं ॥ हेतु परीक्षा में भाग लेने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा बशर्ते कि वह परीक्षा की पुनरावृत्ति के लिए आवेदन करता है तथा वही परीक्षा शुल्क भुगतान करता है जैसा कि उसने पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा के लिए किया था। यदि वह तब भी असफल रहता है तो उसे डिग्री हेतु पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसे उनके द्वारा पाठ्यक्रम कार्य में अर्जित ग्रेड अथवा एसजीपीए को दर्शाते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सिर्फ पंजीकरण हेतु योग्य अभ्यर्थियों को ही नियमित शोधार्थी घोषित किया जाएगा तथा वे फ़ेलोशिप/छात्रवृत्ति आदि आहारित करने के योग्य होंगे जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाये।

7. पर्यवेक्षक का आवंटन

पर्यवेक्षक का आवंटन संबन्धित विभाग द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा:

- (i) किसी चयनित अभ्यर्थी के लिए पर्यवेक्षक के आवंटन का निर्णय डीआरसी द्वारा किसी संकाय सदस्य के अधीन उपलब्ध सीटों की संख्या, ऐसे सदस्यों की विशेषज्ञता के क्षेत्र एवं अन्तर्वार्ता के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुसंधान में अभिरुचि के आधार पर लिया जाएगा।
- (ii) पर्यवेक्षक का आवंटन संबन्धित अभ्यर्थी अथवा पर्यवेक्षक पर नहीं छोड़ा जाएगा।
- (iii) विभाग का एचओडी/प्रभारी पाठ्यक्रम कार्य के परिणामों की घोषणा की तारीख से एक माह के अंतर्गत पर्यवेक्षक का आवंटन सुनिश्चित करेंगे।
- (iv) डीआरसी किसी अभ्यर्थी के प्रति अन्य पर्यवेक्षक का आवंटन उनके अनुसंधान के किसी भी स्तर पर कर सकती है यदि उनका मूल पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय से पदत्याग करता है अथवा उनकी सेवाएँ समाप्त की जाती है अथवा उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सेवा से निलंबित किया जाता है अथवा वे लंबी छुट्टी पर प्रस्थान करते हैं। डीआरसी के ऐसे निर्णय पर बाद में अध्ययनों के बोर्ड एवं स्कूल बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है।
- (v) किसी दिये गए समय पर एक पर्यवेक्षक के पास उनके पर्यवेक्षण में कार्यरत पंजीकृत एमफिल अभ्यर्थिगण विहित संख्या से अधिक सिर्फ इस परिस्थिति को छोड़कर नहीं होंगे जहां उन्हें डीआरसी द्वारा विहित संख्या से अधिक अभ्यर्थिगण पर्यवेक्षक के निलंबन, सेवासमाप्ति अथवा लंबी छुट्टी के कारण आवंटित किए गए हैं।
- (vi) किसी परिवीक्षाधीन शिक्षक को एमफिल शोध-निबंध के पर्यवेक्षण की अनुमति दी जाएगी जो कि अन्यथा एमफिल अनुसंधान कार्य को पर्यवेक्षित करने के योग्य हैं ।
- (vii) किसी एमफिल शोध-प्रबंध के पर्यवेक्षक को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम एमफिल डिग्री अवश्य प्राप्त होनी चाहिए।

8. प्रगति का मानीटरन

- (i) प्रत्येक अभ्यर्थी के अनुसंधान की प्रगति का पर्यवेक्षक द्वारा ध्यानपूर्वक मानीटरन किया जाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष में यहाँ तक कि उनके द्वारा बारंबार सावधान किए जाने के पश्चात भी देखी गई किसी लापरवाही को डीआरसी के प्रति इस विषय पर अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट किया जाएगा। यदि डीआरसी आश्वस्त होती है कि कोई अभ्यर्थी बिना किसी वैध कारण के अपने अनुसंधान कार्य की अवहेलना कर रहा है तो यह उसके प्रति चेतावनी जारी कर सकती है तथा उसे तीन महीने के लिए निगरानी में रख सकती है। यदि उसके व्यवहार में फिर भी सुधार नहीं आता है तो यह विभाग के पंजीकृत अभ्यर्थी के रूप में निरंतरता हेतु

अभ्यर्थी की अपात्रता की अनुशंसा कर सकती है एवं तदनुसार उनकी फेलोशीप आदि समाप्त की जा सकती है।

- (ii) सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रत्येक तीन महीने में अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से विभागाध्यक्ष के प्रति विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी लगातार दो तिमाहियों तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसका पंजीकरण डीआरसी की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा रद्द किया जा सकता है।

9. शोध-प्रबंध का प्रस्तुतीकरण

- (i) किसी एमफिल शोध-प्रबंध के प्रस्तुतीकरण की अनुमति नामांकन की तारीख से 18 महीने के अंतर्गत दी जाएगी। प्रामाणिक कठिनाई के मामले में, डीआरसी, पर्यवेक्षक एवं एचओडी/ प्रभारी की लिखित अनुशंसा पर, समय में प्रस्तुतीकरण की तारीख से एक सेमेस्टर की अधिकतम अवधि तक के विस्तार पर विचार कर सकती है परंतु किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय 18 महीने से आगे फेलोशीप का भुगतान नहीं करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी विस्तारित तारीख के अंतर्गत अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने में असफल रहता है उसका पंजीकरण रद्द समझा जाएगा वह नामांकन हेतु नया आवेदन कर सकता है।
- (ii) प्रस्तुतीकरण की तारीख से कम से कम एक माह पूर्व, अभ्यर्थी विभागाध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन एवं पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर आयोजित किए जाने वाले सेमिनार में एक पूर्व-प्रस्तुतीकरण देगा।
- (iii) अभ्यर्थी सेमिनार के दौरान चर्चा के आलोक में अपने शोध-प्रबंध में परिशोधन कर सकता है।
- (iv) शोध-प्रबंध टाइप किए गए एवं सजिल्द प्रारूप में एक सॉफ्ट प्रति (सीडी) के साथ-साथ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत की जाने वाली प्रतियों की संख्या तीन होगी।
- (v) अंतिम शोध-प्रबंध निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा:
क. अभ्यर्थी से यह घोषणा कि शोध-प्रबंध उनका अपना कार्य है तथा इसे इस अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय में डिग्री हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
ख. पुस्तकालयाध्यक्ष से आदेयता प्रमाण पत्र
ग. वित्त विभाग से आदेयता प्रमाण पत्र
घ. संबन्धित छात्रावास के वार्डन से आदेयता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- (vi) शोध-प्रबंध में निम्नलिखित विशिष्टताएँ होंगी:
a) प्रिंटिंग हेतु प्रयुक्त कागज ए4 आकार का होगा।
b) प्रिंटिंग पृष्ठ के एक ओर दोहरे अंतरण के साथ टाइम्स न्यू रोमन, 12 फॉन्ट में की जाएगी।
c) पृष्ठ की बायीं ओर डेढ़ इंच एवं अन्य तीन पार्श्व पर एक इंच का हाशिया रखा जाएगा।
d) शोध-प्रबंध के शिन में, शीर्ष से आधार तक, एमफिल, अभ्यर्थी का पारिवारिक नाम एवं प्रस्तुतीकरण का वर्ष उल्लेखित होगा।
e) आवरण-पृष्ठ पर शीर्ष पर शोध-प्रबंध का शीर्षक तथा इसके नीचे अभ्यर्थी का नाम, विभाग का नाम, स्कूल का नाम, “मास्टर ऑफ फिलोसफी की आंशिक पूर्ति में प्रस्तुत” का उल्लेख करते हुए एक पंक्ति, प्रस्तुतीकरण का माह एवं वर्ष उल्लेखित होगा।
- (vii) शोध-प्रबंध अंग्रेजी में लिखा जाएगा सिवाय इसके कि जब यह अंग्रेजी की अपेक्षा अन्य किसी भाषा से संबन्धित हो।
- (viii) सभी शोध-प्रबंधों को अनिवार्य प्लेज्यरिज़म जांच से होकर मानदंड के तौर पर गुजरना होगा। यदि शोध-प्रबंध प्लेज्यरिज़म जांच में असफल रहता है तो इसे प्लेज्यरिज़म जांच रिपोर्ट के साथ इनके स्तर

पर आवश्यक कार्रवाई हेतु अभ्यर्थी को लौटाया जाएगा। यदि वह शोध-प्रबंध के लौटाने की तारीख से तीन माह के अंदर इसे पुनः प्रस्तुत नहीं करता है तो इसे अभ्यर्थी द्वारा वापस लिया गया माना जाएगा तथा इसके मूल्यांकन के प्रति परीक्षकों द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

10. परीक्षकों की नियुक्ति

- (i) पर्यवेक्षक द्वारा संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं पीएचडी के साथ सहायक प्रोफेसर के स्तर पर तीन बाह्य परीक्षकों का एक पैनल संबन्धित स्कूल के डीन के माध्यम से कुलपति को प्रस्तुत किया जाएगा। उनके द्वारा पिन ई-मेल आईडी एवं मोबाइल संख्या सहित पूर्ण एवं अद्यतन डाक-पता उपलब्ध करवाया जाएगा।
- (ii) एमफिल शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक सहित दो परीक्षकों को प्रेषित किया जाएगा। यदि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी का संबंधी होता है तो परीक्षकों का पैनल एचओडी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और यदि एचओडी अभ्यर्थी से संबन्धित होता है तो इसे डीन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों परीक्षक बाह्य होंगे।
- (iii) परीक्षकों का चयन देश के अंतर्गत से किया जाएगा।

11. मूल्यांकन

1. परीक्षकों का पैनल अनुमोदित होने के बाद, परीक्षा नियंत्रक कुलपति द्वारा परीक्षकों के पैनल में से अनुमोदित परीक्षकों के साथ सात दिनों के अंदर ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से संपर्क करेंगे।
2. यदि कोई परीक्षक परीक्षकत्व स्वीकार नहीं करता है, तो वह पैनल में से अगले परीक्षक से संपर्क करेंगे।
3. वह उनकी स्वीकार्यता की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के अंदर मूल्यांकन प्रपत्र, पारिश्रमिक प्रपत्र एवं स्टाम्पकृत तथा स्व-पता लिखा लिफाफा के साथ-साथ शोध-प्रबंध परीक्षकों को अग्रेषित करेगा।
4. परीक्षकों से शोध-प्रबंध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सीओई को प्रेषित करने का अनुरोध किया जाएगा तथा अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व अनुस्मारक भेजा जाएगा। यदि कोई परीक्षक निर्धारित तिथि के अंतर्गत रिपोर्ट भेजने में असफल रहता है, तो सीओई समय में अगले 15 दिनों का विस्तार करते हुए अंतिम अनुस्मारक भेजेगा। यदि फिर भी कोई परीक्षक रिपोर्ट भेजने में असफल रहता है तो सीओई अनुमोदित पैनल से अगले परीक्षक को शोध-प्रबंध के मूल्यांकन के लिए आमंत्रित करेगा।
5. यदि कोई परीक्षक प्रतिकूल रिपोर्ट देता है तो सीओई शोध-प्रबंध को परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से अगले परीक्षक को प्रेषित करेंगे। यदि अतिरिक्त परीक्षक भी प्रतिकूल रिपोर्ट देता है तो अभ्यर्थी को फेल हुआ घोषित किया जाएगा।

12. मौखिक परीक्षा एवं शोध-प्रबंध का प्रतिपक्ष

1. परीक्षकों से प्राप्त अनुकूल रिपोर्टों को सीओई द्वारा तत्काल डीन को अग्रेषित किया जाएगा, जो रिपोर्टों के अनुकूल होने की पुष्टि करने के बाद, संबन्धित पर्यवेक्षक के अध्यक्ष के रूप में तथा बाह्य परीक्षक एवं स्कूल के एक संकाय सदस्य के साथ मौखिक परीक्षा हेतु मूल्यांकन समिति के गठन की अधिसूचना जारी करेंगे। समिति का अध्यक्ष समिति के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके एक निकटतम तारीख को मौखिक परीक्षा की व्यवस्था करेंगे।

- समिति उसी दिन अपनी रिपोर्ट एचओडी के माध्यम से सीओई के प्रति प्रस्तुत करेंगे।
2. मौखिक परीक्षा हेतु दिन तारीख समय एवं स्थान की अधिसूचना समिति के अध्यक्ष द्वारा कम से कम सात दिन अग्रिम रूप से की जाएगी। इस प्रकार के सूचना-पत्र का परिचालन स्कूल के अंतर्गत सभी विभागों के प्रति किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय के वैबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
 3. सफल प्रतिरक्षण के मामले में, सीओई सभी रिपोर्टों, मौखिक परीक्षा के सहित, को कुलपति के प्रति परिणाम पर उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा सीओई द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। यदि प्रतिरक्षण संतोषजनक नहीं है तो समिति इसका कारण अभिलेखित करेगी तथा प्रथम मौखिक परीक्षा की तारीख से 30 दिनों के बाद पुनरावृत्त मौखिक परीक्षा हेतु एक उपयुक्त तिथि प्रस्तावित करेगी।

13. विश्वविद्यालय के साथ अमानतदारी

मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन एवं अवार्ड की अधिसूचना के बाद, विश्वविद्यालय शोध-प्रबंध को अपने डी-स्पेस आधान में अपलोड करेगा तथा एक हार्ड प्रति केंद्रीय पुस्तकालय में जमा की जाएगी।

14. डिग्री प्रदान किया जाना

1. परिणाम कार्यालयी रूप से सीओई द्वारा कुलपति के अनुमोदन से सात दिनों के अंदर घोषित किया जाएगा। परिणाम में अभ्यर्थी का नाम, पंजीकरण संख्या एवं तारीख, शोध-प्रबंध का शीर्षक, डिग्री, पर्यवेक्षक का नाम, संयुक्त पर्यवेक्षक(ओं) का नाम, यदि कोई हो, विभाग का नाम एवं स्कूल के नाम का उल्लेख किया जाएगा। अधिसूचना को विश्वविद्यालय वैबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
2. डिग्री का औपचारिक अवार्ड विश्वविद्यालय के अगले दीक्षांत समारोह दिवस पर किया जाएगा।

15. कठिनाइयों का निवारण

उपरोक्त मार्गदर्शनों के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाइयों के मामले में कुलपति को किसी कठिनाई का निवारण करने अथवा वे जैसा उचित समझें इसे वैसा प्रतिपादित करने की शक्ति प्राप्त है।

सिक्किम विश्वविद्यालय

डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पर नियमावली

सिक्किम विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों एवं अंतर-शास्त्रीय क्षेत्रों में अनुसंधान प्रस्तावित करता है जिसकी परिणति डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री के प्रति होती है। कोई अभ्यर्थी साधारणतः विश्वविद्यालय विभागों में कार्य करेगा, परंतु उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में भी कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। एचओडी/प्रभारी एक विभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी) का गठन करेगा जिसमें विभाग के वे सभी संकाय सदस्य सम्मिलित होंगे जो पीएचडी छात्रों को मार्गदर्शन देने के योग्य हैं। यदि योग्य शिक्षकों की संख्या तीन से कम होती है, तो डीआरसी के गठन के लिए स्कूल के अंतर्गत से अतिरिक्त सदस्यों को लिया जा सकता है जिसका उद्देश्य सिक्किम विश्वविद्यालय से पीएचडी के प्रति कार्यरत अभ्यर्थी का चयन, प्रगति एवं डिग्री प्रदान किए जाने की निगरानी करना है। योग्यता, प्रवेश परीक्षा, अन्तर्वार्ता, पंजीकरण, पर्यवेक्षण, शोध-प्रबंध का प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा, शोध-प्रबंध के प्रतिरक्षण आदि से संबन्धित नियमावली निम्नानुसार होगी:

1. योग्यता

पीएचडी प्रोग्राम में नामांकन हेतु, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाला आवेदक योग्य माना जाएगा:

a) कम से कम 55% अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड पॉइंट एवरेज (जीपीए) के साथ मास्टर डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तिगण। एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए अंकों में 5% की छुट होगी।

अथवा

b) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं-संस्थानों/ सरकारी/ निजी संगठनों में कार्यरत संबन्धित नियोक्ता द्वारा नामित/ प्रायोजित व्यक्तिगण। इन व्यक्तियों के पास एक पोस्टग्रेजुएट डिग्री तथा सहायक निदेशक अथवा उच्च पद धारित करता हो।

अथवा

c) अतिविशेष योग्यताओं के साथ व्यक्तिगण जिन्होंने ग्रेजुएट डिग्री परीक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो तथा संबन्धित क्षेत्र में ग्रेजुएशन के पश्चात 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। ऐसे मामलों में अतिविशेष योग्यता का निर्णय संबन्धित डीआरसी द्वारा लिया जाएगा।

अथवा

d) भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान अथवा कॉस्ट एकाउंटेंट संस्थान का कोई फेलो/एसोसिएट सदस्य बशर्ते कि अभ्यर्थी तृवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ प्रथम श्रेणी बैचलर डिग्री एवं 5 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव रखता है।

अथवा

e) किसी शास्त्र में ग्रेजुएट जिसने राष्ट्रीय महत्व की कोई नई नवीकरणीय तकनीकी विकसित किया है अथवा विशेष उपकरण या संयंत्र की डिजाइन एवं निर्माण किया है जिसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्षम निर्णायकों द्वारा नवाचार

प्रौद्योगिकी के प्रति मूल्यवान अवदान के रूप में स्वीकार किया गया है।

अथवा

f) सामान्य श्रेणी के लिए कम से कम 55% अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए एवं एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक एवं समतुल्य सीजीपीए के साथ एमफिल डिग्री प्राप्त व्यक्तिगण।

अथवा

g) प्रथम श्रेणी में बी.टेक. डिग्री तथा कम से कम 5 वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के साथ व्यक्तिगण

अंतर-शास्त्रीय क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु तथा जिस विषय में अनुसंधान प्रस्तावित है उसके अतिरिक्त विभिन्न शास्त्रों से संबन्धित आवेदकों के आवेदन-पत्र पर विचार डीआरसी द्वारा किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2. प्रवेश परीक्षा के संचालन हेतु पद्धति

प्रवेश परीक्षा सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए अनिवार्य है तथा सामान्यतः इसका संचालन वर्ष में एक बार किया जाएगा।

3. लिखित परीक्षा

90 मिनटों की लिखित परीक्षा का संचालन सीओई द्वारा किया जाएगा तथा उत्तरों का मूल्यांकन 50 अंकों के विरुद्ध किया जाएगा। डीआरसी इसका निर्णय करेगी कि क्या एवं कितने प्रश्न पुछे जाएँगे साथ ही उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगी।

4. अन्तर्वार्ता

अन्तर्वार्ता का मूल्यांकन कुल 50 अंकों के विरुद्ध किया जाएगा। अन्तर्वार्ता का उद्देश्य मूलतः यह जानना है कि कोई अभ्यर्थी उनके द्वारा प्रस्तावित किए गए क्षेत्र में अनुसंधान के अनुसरण के प्रति कितना उत्सुक है। अन्तर्वार्ता समिति में एचओडी/ प्रभारी सहित कम से कम तीन सदस्य सम्मिलित होंगे और जहां एचओडी/ प्रभारी उपलब्ध नहीं हैं संबन्धित डीन उपस्थित रहेंगे। यदि विभाग में अन्तर्वार्ता समिति के गठन के लिए योग्य सदस्यों की संख्या तीन से कम है तो यह स्कूल के अंतर्गत से किसी के लिए अनुरोध कर सकता है।

उन संकाय सदस्यों के साथ गठित डीआरसी के सदस्यगण जो पीएचडी हेतु छात्रों को मार्गदर्शन देने के योग्य हैं तथा जिनके अधीन सीटें उपलब्ध हैं तदनुसार प्रश्न पत्र तैयार करेंगे तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। यदि कोई सदस्य किसी अभ्यर्थी से संबन्धित निकल आता है तो वह यहाँ तक कि मार्गदर्शन के प्रति अन्यथा योग्य होने पर भी लिखित परीक्षा पुस्तिकाओं को मूल्यांकित करने की समिति का सदस्य नहीं होगा।

5. नामांकन

लिखित परीक्षा साथ ही अन्तर्वार्ता में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद विभागप्रमुख द्वारा इसे अधिसूचित किया जाएगा एवं चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा (i) डीन, (ii) रजिस्ट्रार, (iii) परीक्षा नियंत्रक, एवं (iv) वित्त अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिसूचना में उल्लेखित निर्धारित तारीख के अंतर्गत विहित शुल्क के भुगतान किए जाने पर अस्थाई रूप से पंजीकृत करना वांछित होगा।

अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के दौरान, विभाग भारत सरकार की आरक्षण नीति पर उचित ध्यान देगा।

नियोजित अभ्यर्थियों को, यदि प्रवेश दिया जाता है, यह दिखलाने के लिए साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें नामांकन की तारीख से कम से कम दो वर्षों की छुट्टी प्रयोगशाला आधारित प्रोग्रामों तथा छः महीने की छुट्टी कला, सामाजिक विज्ञान आदि के लिए स्वीकृत की गई है।

विदेशी अभ्यर्थियों का नामांकन 10% की सीमा तक आधिसंख्य सीटों के विरुद्ध किया जाएगा। चूंकि उनके लिए सामान्यतः यहाँ आना एवं लिखित परीक्षा-सह-अन्तर्वार्ता में भाग लेना संभव नहीं होता है अतः उन्हें नामांकन प्रदान किया जा सकता है यदि डीआरसी उनके प्रमाण-पत्रों को संतोषजनक क्रम में पाता है। यदि योग्य अभ्यर्थियों की प्रतिशतता 10 से अधिक है तो उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जाये। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, एवं पाकिस्तान में रहने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन प्रदान किए जाने से तबतक बचा जाये जबतक कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत सरकार द्वारा विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट रूप से अनुशंसित न हो। आरंभ में उन्हें अस्थाई नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। उन्हें अंतिम नामांकन अध्ययन की अवधि हेतु वैध छात्र वीजा, यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र कि उन्हें कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, तथा निधि-प्रदायता का श्रोत प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जाये।

छः माह अथवा इससे ऊपर अधिकतम 2 वर्षों की अवधि हेतु नामांकन के पश्चात विछिन्नता के मामले में, अभ्यर्थी को प्रोग्राम में पंजीकरण से बाहर कर दिया जाएगा। तथापि, यह उन छात्रों पर लागू नहीं होगा जो कि विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत हैं।

6. पाठ्यक्रम कार्य

12-क्रेडिटों का एक एक-सेमेस्टर पाठ्यक्रम कार्य प्रोग्राम में नामांकन ग्रहण करने के बाद अनिवार्य है। इन क्रेडिटों का वितरण निम्नानुसार होगा:

- i. अनुसंधान प्रविधि हेतु 4 क्रेडिट जिनमें, जो कि अनिवार्य है, संख्यात्मक तकनीकियां एवं कंप्यूटर के प्रयोग का ज्ञान सम्मिलित किए जा सकते हैं।
- ii. 4 क्रेडिट अनुसंधान के उस क्षेत्र में वर्तमान प्रगतियों के प्रति निर्धारित होगा जिसमें कि अभ्यर्थी को नामांकन दिया जाता है।
- iii. 4 क्रेडिट गैर-व्याख्यान आधारित एक पेपर के लिए निर्धारित होगा जिसमें अभ्यर्थिगण साहित्य की समीक्षा करते हैं अपने अनुसंधान अभिरुचि के क्षेत्र में एक अनुसंधान प्रस्ताव लिखते हैं, तथा सेमेस्टर के अंत में एक सेमिनार देते हैं। इस पेपर के लिए कोई आवधिक जांच तथा कोई उपस्थिति अनिवार्यता नहीं होगी। उन्हें अनुसंधान प्रस्ताव हेतु 50 अंकों में से तथा 50 अंक प्रस्तुतीकरण एवं प्रतिरक्षण के लिए अवार्ड किए जाएँगे।

इस पेपर के लिए कम से कम एक बाह्य सदस्य स्कूल के अंतर्गत में से तथा संबन्धित विभाग के दो संकाय सदस्यगण मूल्यांकन समिति में सम्मिलित होंगे।

पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन विभाग के संकाय से संबन्धित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संकाय सदस्यों को पाठ्यक्रम कार्य के दौरान छात्रों के बीच शैक्षणिक भाषा में आलोचनात्मक सोच एवं सम्प्रेषण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

पंजीकरण हेतु योग्य होने के लिए किसी छात्र को पाठ्यक्रम कार्य में 'ए' अथवा 6.0 एसजीपीए का अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

पाठ्यक्रम कार्य में 'ए' अथवा 6.0 एसजीपीए अर्जित करने में असफल अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम कार्य के परिणाम की तारीख से एक माह के अंतर्गत परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि वह अपनी परीक्षा की पुनरावृत्ति के लिए आवेदन करता है तथा वही परीक्षा शुल्क भुगतान करता है जैसा कि पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा के लिए किया था। यदि वे पंजीकरण हेतु योग्यता के लिए वांछित अंक प्राप्त करने में अभी भी असफल रहते हैं तो उन्हें डिग्री हेतु पंजीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा उन्हें उनके द्वारा अर्जित वास्तविक ग्रेड अथवा एसजीपीए का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

सिर्फ उन अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम कार्य से छुट प्रदान की जाएगी जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमफिल किया है तथा पाठ्यक्रम कार्य पूर्व में निष्पादित कर चुका है।

सिर्फ पंजीकरण हेतु योग्य अभ्यर्थियों को ही नियमित शोधार्थी घोषित किया जाएगा तथा वे फेलोशिप/छात्रवृत्ति आदि आहारित करने के योग्य होंगे जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाये।

7. पर्यवेक्षक का आवंटन

पर्यवेक्षक का आवंटन संबन्धित विभाग द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शनों के अनुसार किया जाएगा:

- (i) किसी चयनित अभ्यर्थी के लिए पर्यवेक्षक के आवंटन का निर्णय विभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी) द्वारा किसी संकाय सदस्य के अधीन उपलब्ध सीटों की संख्या, ऐसे सदस्यों की विशेषज्ञता के क्षेत्र एवं अन्तर्वार्ता के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुसंधान में अभिरुचि के आधार पर लिया जाएगा।
- (i) पर्यवेक्षक का आवंटन संबन्धित अभ्यर्थी अथवा पर्यवेक्षक के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा।
- (ii) विभाग प्रमुख पाठ्यक्रम कार्य के परिणामों की घोषणा की तारीख से एक माह के अंदर पर्यवेक्षक का आवंटन सुनिश्चित करेंगे।
- (iii) यदि कोई अभ्यर्थी एक संयुक्त पर्यवेक्षक की इच्छा व्यक्त करता है तो इसे डीआरसी द्वारा पर्यवेक्षक के आवंटन के साथ-साथ अनुमोदित किया जाएगा। संयुक्त पर्यवेक्षक सामान्यतः विभाग के बाहर से होंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते होंगे। किसी व्यक्ति की संयुक्त-पर्यवेक्षण हेतु योग्यता पर्यवेक्षक की योग्यता के समान होगी।
- (iv) यदि कोई चयनित अभ्यर्थी उन्हें आवंटित पर्यवेक्षक से संतुष्ट नहीं है तो वह एचओडी के प्रति विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए कि वह अपना पर्यवेक्षक परिवर्तित करना चाहता है पत्र लिख सकता है। यदि डीआरसी अभ्यर्थी द्वारा दिये गए कारणों से सहमत होता है,

तो यह अन्य संकाय सदस्य को उनके पर्यवेक्षक के रूप में आवंटित कर सकती है। ऐसा विकल्प अभ्यर्थी के प्रति सम्पूर्ण प्रोग्राम में सिर्फ एक बार के लिए उपलब्ध होगा।

- (vi) डीआरसी किसी अभ्यर्थी के प्रति दूसरा पर्यवेक्षक उनके अनुसंधान के किसी स्तर पर आवंटित कर सकती है यदि उनका मूल पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय से पदत्याग करता है अथवा उनकी सेवा समाप्त की जाती है अथवा उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सेवा से निलंबित किया जाता है अथवा वह लंबी छुट्टी पर चला जाता है। डीआरसी के ऐसे निर्णय का अध्ययनों के बोर्ड, स्कूल बोर्ड एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा बाद में अवश्य ही अनुमोदन किया जाएगा।
- (vii) किसी दिये गए समय में किसी पर्यवेक्षक के पास उनके पर्यवेक्षणाधीन कार्यरत पंजीकृत पीएचडी अभ्यर्थिगण यूजीसी नियमावली के अनुसार विहित संख्या से अधिक नहीं होंगे उन आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर जब डीआरसी द्वारा उन्हें विहित संख्या से अधिक अभ्यर्थिगण पर्यवेक्षक के पदत्याग, निलंबन, सेवासमाप्ति अथवा लंबी छुट्टी के कारण आवंटित किए गए हों।
- (viii) पीएचडी शोध-प्रबंध के पर्यवेक्षणकार्य हेतु योग्य होने के लिए पीएचडी के साथ किसी सहायक प्रोफेसर के पास किसी विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान अथवा पोस्टग्रेजुएट महाविद्यालय में कम से कम तीन वर्षों का पोस्टडॉक्टरल अनुसंधान/ शिक्षण कार्यानुभव अवश्य होना चाहिए। कोई प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर विश्वविद्यालय में अपने कार्यभारग्रहण के तत्काल बाद डॉक्टरल अनुसंधान का पर्यवेक्षणकार्य आरंभ कर सकता है।
- (ix) कोई पर्यवेक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद छः माह तक किसी डॉक्टरल शोधार्थी के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकता है।

8. प्रगति की मानीटरिंग

प्रत्येक अभ्यर्थी के अनुसंधान की प्रगति का पर्यवेक्षक द्वारा ध्यानपूर्वक मानीटरन किया जाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष में यहाँ तक कि बारंबार सावधान किए जाने के पश्चात भी दिखाई पड़ी किसी लापरवाही को डीआरसी के प्रति इस विषय पर अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट किया जाएगा। यदि डीआरसी आश्वस्त होती है कि कोई अभ्यर्थी बिना किसी वैध कारण के अपने अनुसंधान कार्य की अवहेलना कर रहा है तो यह उसके प्रति चेतावनी जारी कर सकती है तथा उसे तीन महीने के लिए निगरानी में रख सकती है। यदि उसके व्यवहार में सुधार नहीं आता है तो डीआरसी विभाग के पंजीकृत अभ्यर्थी के रूप में निरंतरता हेतु अभ्यर्थी की अपात्रता की अनुशंसा कर सकती है एवं तदनुसार उनकी फ़ेलोशीप आदि समाप्त की जा सकती है।

- (i) सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रत्येक तीन महीने में अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से विभागाध्यक्ष के प्रति विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने पर्यवेक्षक द्वारा सहमति प्राप्त किसी वैध कारण के बिना लगातार दो तिमाहियों तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसका पंजीकरण डीआरसी की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा रद्द किया जा सकता है।

9. शोध-प्रबंध का प्रस्तुतीकरण

- (i) किसी पीएचडी शोध-प्रबंध के प्रस्तुतीकरण की अनुमति पंजीकरण की तारीख से 2 वर्षों के बाद एवं नामांकन की तारीख से 5 वर्षों के अंतर्गत दी जा सकती है। असाधारण परिस्थिति में, कुलपति किसी अभ्यर्थी को शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए एक और वर्ष की अनुमति दे सकते हैं, परंतु

- यूजीसी गैर-एनईटी फेलोशिप किसी भी अभ्यर्थी को 4 वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं दी जा सकती है।
- (ii) किसी पीएचडी अभ्यर्थी को शोध-प्रबंध के प्रस्तुतीकरण के पूर्व कम-से-कम एक अनुसंधान पत्र किसी निर्दिष्ट जर्नल में अवश्य प्रकाशित करना चाहिए एवं इसका साक्ष्य स्वीकृति पत्र के स्वरूप में अथवा रिप्रिंट शोध-प्रबंध प्रस्तुत किए जाने के दौरान अवश्य पेश किया जाना चाहिए।
- (iii) पीएचडी शोध-प्रबंध के प्रस्तुतीकरण की तारीख से कम-से-कम दो माह पूर्व, किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी के अनुरोध एवं पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर एचओडी द्वारा व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण-पूर्व सेमिनार दिया जाएगा।
- (iv) अभ्यर्थी सेमिनार के दौरान हुई चर्चा के आलोक में अपने शोध-प्रबंध में उपयुक्त सुधार कर सकता है तथा नामांकन की तारीख से दो माह के अंतर्गत अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर सकता है।
- (v) प्रामाणिक कठिनाई के मामले में, डीआरसी, पर्यवेक्षक एवं एचओडी की लिखित अनुशंसा पर उनके शोध-प्रबंध के प्रस्तुतीकरण की नियत तारीख से दो सेमेस्टरों की अवधि तक के समय-विस्तार पर विचार कर सकती है। यदि कोई अभ्यर्थी विस्तारित तारीख तक अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसका पंजीकरण रद्द माना जाएगा तथा वह किसी अनुसंधान डिग्री प्रोग्राम में नामांकन हेतु नया आवेदन कर सकता है।
- (vi) शोध-प्रबंध टाइप किए गए एवं सजिल्द स्वरूप में एक सॉफ्टप्रति (सीडी) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत की जाने वाली प्रतियों की संख्या 4 होगी।
- (vii) अंतिम शोध-प्रबंध निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए :
- अभ्यर्थी से एक घोषणा पत्र कि शोध-प्रबंध उनके स्वयं का कार्य है तथा किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य डिग्री के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - पुस्तकालयाध्यक्ष से आदेयता प्रमाण पत्र
 - वित्त विभाग से आदेयता प्रमाण पत्र
 - संबन्धित छात्रावास के वार्डन से आदेयता प्रमाण पत्र यदि लागू हो।
- (viii) शोध-प्रबंध में निम्नलिखित विशिष्टताएँ होंगी:
- प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त कागज ए-4 आकार का होना चाहिए।
 - प्रिंटिंग टाइम्स न्यू रोमन, 12' में, दोहरे अंतरण के साथ पृष्ठ के एक ओर होनी चाहिए।
 - पृष्ठ के बाईं ओर डेढ़ इंच का एक हाशिया एवं अन्य तीन पार्श्व में एक इंच का हाशिया होना चाहिए।
 - शोध-प्रबंध के शिन पर, शीर्ष से आधार तक, डिग्री जिसके लिए शोध-प्रबंध प्रस्तुत किया गया है, अभ्यर्थी का पारिवारिक नाम तथा प्रस्तुतीकरण वर्ष का उल्लेख किया जाएगा।
 - आवरण पृष्ठ पर शीर्ष पर शोध-प्रबंध का शीर्षक होगा जिसके नीचे अभ्यर्थी का नाम, विभाग का नाम, स्कूल का नाम, "डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी की डिग्री के आंशिक सम्पादन में प्रस्तुत" का उल्लेख करते हुए एक पंक्ति, प्रस्तुतीकरण का माह एवं वर्ष दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवरण पृष्ठ की एक नमूना प्रति उपलब्ध करवायी जाएगी।
- (x) शोध-प्रबंध अंग्रेजी में लिखा जाएगा तब को छोड़कर जब यह किसी आधुनिक भारतीय अथवा विदेशी भाषा से संबन्धित हो।
- (xi) सभी शोध-प्रबंधों को अनिवार्य प्लेज्यरिज़म जांच से गुजरना होगा, क्योंकि प्लेज्यरिज़म आजकल एक गंभीर अपराध है। यदि कोई शोध-प्रबंध प्लेज्यरिज़म जांच में असफल होता है तो इसे अभ्यर्थी को प्लेज्यरिज़म जांच रिपोर्ट के साथ उनके पक्ष में आवश्यक कार्रवाई के लिए लौटा दिया जाएगा यदि वह शोध-प्रबंध लौटाए जाने की तारीख से तीन माह के अंतर्गत इसे पुनर्प्रस्तुत नहीं करता है तो इसे अभ्यर्थी द्वारा वापस लिया गया माना जाएगा तथा इसके मूल्यांकन के प्रति परीक्षकों द्वारा कोई अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी।

10. परीक्षकों की नियुक्ति

- (i) पर्यवेक्षक कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ पाँच परीक्षकों का एक पैनल कुलपति के प्रति संबन्धित स्कूल के डीन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। वह पिन, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल संख्या के साथ-साथ पूर्ण एवं अद्यतन डाक पता उपलब्ध करवाएगा।
- (ii) शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक सहित, तीन परीक्षकों के पास भेजा जाएगा। यदि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी का संबंधी होता है तो परीक्षकों का पैनल एचओडी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और यदि एचओडी ही पर्यवेक्षक होता है तो इसे डीन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में, सभी तीन परीक्षकगण बाह्य परीक्षक होंगे।
- (iii) परीक्षकगण साधारणतया देश के अंतर्गत से ही चयन किए जाएँगे। जब कोई पर्यवेक्षक शोध-प्रबंध की एक प्रति विदेश भेजा जाना वांछनीय मानता है तो उनके द्वारा विदेशी परीक्षकों का एक अलग पैनल प्रस्तुत किया जाएगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की लागत अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।
- (iv) शोध-प्रबंध की लोक प्रतिरक्षा के मूल्यांकन हेतु समिति की नियुक्ति डीन द्वारा एचओडी एवं पर्यवेक्षक के परामर्श से की जाएगी। समिति की बैठक का आयोजन एचओडी द्वारा एवं अध्यक्षता डीआरसी के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

11. मूल्यांकन

1. परीक्षकों के पैनल के अनुमोदित होने के बाद, परीक्षा नियंत्रक (सीओई) कुलपति द्वारा परीक्षकों के पैनल में से अनुमोदित किए गए परीक्षकों से सात दिनों के अंदर ई-मेल अथवा फोन से संपर्क करेंगे।
2. यदि कोई परीक्षक परीक्षकत्व स्वीकार नहीं करता है, तो सीओई बिना समय गँवाए पैनल में अगले परीक्षक से संपर्क स्थापित करेंगे।
3. सीओई उन परीक्षकों को शोध-प्रबंध की एक प्रति, मूल्यांकन प्रपत्र, पारिश्रमिक प्रपत्र एवं स्टाम्पकृत तथा स्व-पता लिखा लिफाफा उनकी स्वीकार्यता की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करेंगे जिन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है।
4. परीक्षकों से अपनी रिपोर्ट शोध-प्रबंध की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के अंतर्गत सीओई को प्रेषित करने का अनुरोध किया जाएगा तथा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से एक अनुस्मारक नियत तारीख से एक सप्ताह पूर्व भेजेगा। यदि कोई परीक्षक नियत तारीख तक अपनी रिपोर्ट भेजने में असफल रहता है, तो सीओई उन्हें अंतिम अनुस्मारक समय में अगले 15 दिनों का विस्तार देते हुए प्रेषित करेगा। यदि कोई परीक्षक तब भी रिपोर्ट भेजने में सक्षम नहीं होता है तो सीओई शोध-प्रबंध को मूल्यांकित करने के लिए अनुमोदित पैनल में से अन्य परीक्षक को आमंत्रित करेगा।
5. किसी परीक्षक द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट दिए जाने के मामले में सीओई शोध-प्रबंध को परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे परीक्षक को भेजेगा। यदि ऐसे किसी परीक्षक द्वारा भी प्रतिकूल रिपोर्ट दी जाती है, तो अभ्यर्थी को फेल हुआ घोषित किया जाएगा।
6. यदि परीक्षकों में से कोई सम्पूर्ण अथवा शोध-प्रबंध के अंश में सुधार की शर्त पर डिग्री अवाई करने की अनुशंसा करता है तो उनके सुझावों के आधार पर अभ्यर्थी अपने पर्यवेक्षक के परामर्श से अपने शोध-प्रबंध में सुधार करेगा तथा इसे सीओई के पत्र की तारीख से छः माह की अवधि के अंदर पुनः प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात शोध-प्रबंध को परीक्षक के पास अंतिम अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा जिसने सुधार चाहा था।

12. मौखिक परीक्षा एवं शोध-प्रबंध का प्रतिरक्षण

1. परीक्षकों से प्राप्त अनुकूल रिपोर्टों को सीओई द्वारा तत्काल डीन के प्रति अग्रेषित किया जाएगा, जो इसकी पुष्टि करने के बाद कि रिपोर्टें अनुकूल हैं, मौखिक परीक्षा एवं शोध-प्रबंध के प्रतिरक्षण की व्यवस्था किसी समीपस्थ तिथि को करेंगे। डीन एक आंतरिक परीक्षक, बाह्य परीक्षकों में से एक, तथा किसी समवर्गी विभाग से एक वरिष्ठ संकाय सदस्य के साथ मौखिक परीक्षा समिति को गठित एवं अधिसूचित करेंगे। समिति अपनी रिपोर्ट एचओडी के माध्यम से उसी दिन सीओई को प्रेषित करेंगे।
2. मौखिक परीक्षा एवं शोध-प्रबंध के प्रतिरक्षण का दिवस, समय एवं स्थान की अधिसूचना एचओडी द्वारा कम से कम सात दिन अग्रिम रूप से की जाएगी। ऐसी सूचना का परिचालन सभी सहबद्ध विभागों में किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय के वैबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
3. सफलतापूर्वक प्रतिरक्षण के मामले में, सीओई सभी रिपोर्टें, मौखिक परीक्षा के सहित, कुलपति के प्रति उनके द्वारा परिणाम के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे एवं बाद में सीओई द्वारा इसे अधिसूचित किया जाएगा। यदि प्रतिरक्षण संतोषजनक नहीं है तो समिति इसके कारणों को अभिलेखित करेगी तथा मौखिक परीक्षा की तारीख से 30 दिनों के बाद पुनरावृत्त मौखिक परीक्षा हेतु उचित तारीख का सुझाव देगी।

13. यूजीसी के साथ आगार

मूल्यांकन प्रक्रिया एवं अवार्ड की अधिसूचना के सफलतापूर्वक समापन के बाद, विश्वविद्यालय पीएचडी शोध-प्रबंध की एक सॉफ्टप्रति तीस दिनों के अंतर्गत यूजीसी के प्रति, इसे इन्फ्लिबेंट में उजागर करने के लिए प्रस्तुत करेगा। विश्वविद्यालय शोध-प्रबंध को अपने डी-स्पेस आधान में भी अपलोड करेगा तथा एक हार्ड प्रति केंद्रीय पुस्तकालय को प्रेषित किया जाएगा।

14. डिग्री प्रदान किया जाना

1. परिणाम सीओई द्वारा कुलपति के अनुमोदन की तारीख से सात दिनों के अंतर्गत कार्यालयी रूप से घोषित किया जाएगा। परिणाम में अभ्यर्थी का नाम, पंजीकरण संख्या एवं तारीख, शोध-प्रबंध का शीर्षक, डिग्री, पर्यवेक्षक का नाम, विभाग का नाम एवं स्कूल का नाम उल्लेखित होगा। अधिसूचना को भी विश्वविद्यालय वैबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय इस प्रभाव से एक अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि डिग्री यूजीसी द्वारा जून 2009 की अधिसूचना के अनुसार जारी विनियमावली के अनुसरण में प्रदान की गई है।
3. डिग्री का औपचारिक अवार्ड विश्वविद्यालय के अगले दीक्षांत समारोह दिवस में किया जाएगा।

15. कठिनाई का निवारण

उपरोक्त मार्गदर्शन के प्रतिपादन में हुई किसी कठिनाई के मामले में कुलपति जैसा उचित समझें वैसा प्रतिपादित करने एवं तदनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए शक्ति-सम्पन्न होंगे।

सिक्किम विश्वविद्यालय
इंटरनशीप पर नियमावली

1. सामान्यतः एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान एक इंटरनशीप की अनुमति प्रदान की जाएगी।
2. इंटरनशीप साधारणतया अवकाश के दौरान संचालित की जाएगी।
3. इंटरनशीप की अवधि में सामान्यतया विहित दिनों की संख्या में विस्तार नहीं किया जाएगा तथा यह किसी भी स्थिति में कक्षा-कार्य को प्रभावित नहीं करेगी।
4. इंटरनशीप करने को इच्छुक कोई छात्र विभागप्रमुख की अनुमति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।
(अनुलग्नक)
5. इंटरनशीप हेतु सभी प्रस्ताव अवश्य ही निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रति प्रत्यक्षतः संबन्धित होंगे। एचओडी इस पहलू पर आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय स्पष्ट रूप से विचार करेंगे।
6. इंटरनशीप हेतु आवेदन पत्र इंटरनशीप आरंभ होने की नियत तारीख से कम से कम 60 डीन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. छात्रों को इंटरनशीप के दौरान अनुशासन का कड़ाई से पालन करना होगा तथा उनका आचरण ऐसा हो कि वे स्वयं को सिक्किम विश्वविद्यालय के योग्य छात्र के रूप में प्रक्षेपित कर सकें। कदाचार/गैर-अनुशासन के किसी रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8. प्रत्येक छात्र इंटरनशीप के दौरान निष्पादित दैनिक गतिविधियों पर एक डायरी का अनुरक्षण करेगा तथा इसे उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाएगा जिनके अधीन इंटरनशीप धारित है। डायरी को इंटरनशीप के दौरान अर्जित अनुभवों पर एक समग्र रिपोर्ट के साथ एचओडी के प्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत की जाएगी। विभाग उपयुक्त प्रारूप विहित किए जाने पर विचार कर सकता है जिनमें इंटरनशीप द्वारा रिपोर्ट तैयार एवं प्रस्तुत किया जाएगा।
9. विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता संबन्धित विभाग प्रमुख/प्रभारी द्वारा इंटरनशीप करने के प्रति अनुशंसित छात्रों के लिए निम्नलिखित सीमा तक सीमित होगी:
 - a. स्लीपर क्लास से आने जाने का रेल किराया एवं/अथवा समीपस्थ मार्ग से साधारण बस किराया। टिकट का मूल स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
 - b. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से दैनिक भत्ता बशर्ते कि अपने गृह-नगर में इंटरनशीप कर रहे किसी छात्र को दैनिक भत्ते का 50% प्राप्त होगा।
 - c. प्रत्याशित खर्च के 80% की सीमा तक अग्रिम प्रदान किया जा सकता है, यदि मांगी जाए, बशर्ते कि यह वचनबद्धता देनी होगी कि अग्रिम के निपटारे के लिए अंतिम दावा इंटरनशीप की समाप्ति के बाद 10 (दस) कार्यदिवसों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर रु.100 प्रतिदिन का दंड लगेगा एवं छात्र को एचओडी द्वारा अगली सेमेस्टर परीक्षा लिखने से भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

आवेदन प्रपत्र

सेवा में

विभागप्रमुख

----- विभाग

विषय:

इंटरनशीप

दिनांक -----

महोदय / महोदया,

मुझे मेसर्स ----- [संगठन का नाम] द्वारा दिनांक ----- से -----तक इंटरन के रूप में कार्यभारग्रहण करने के लिए स्वीकार किया गया है। यह इंटरनशीप कार्यक्रम पूर्णतः अथवा अंशतः, भुगतये नहीं है। स्वीकार्यता-पत्र की एक प्रति एतदद्वारा संलग्न की जाती है

इस संगठन के साथ इंटरनशीप मेरे लिए शैक्षणिक रूप से निम्नलिखित तरीके से लाभदायक है:

- 1.
- 2.
- 3.

मैं वचन देता हूँ कि मैं विश्वविद्यालय द्वारा इंटरनशीप करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करूंगा तथा आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे दिनांक ----- से ----- दिनों के लिए इंटरनशीप ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें।

मैं आपसे आगे अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित आकलन के अनुसार रु.----- (रुपये -----) के अग्रिम भुगतान की अनुशंसा करें जो कि प्रत्याशित व्यय का 80% है:

1	रेल/बस किराया स्लीपर / साधारण क्लास (आने-जाने) गंगटोक एवं -----के बीच	Rs.
2	-----दिनों के लिए रु. 150 की दर से (रु. 75 गृह-नगर मेन इंटरनशीप हेतु)	Rs.
3	कुल	Rs.
4	क्र.सं.3 का 80%	Rs.
5	वांछित अग्रिम	Rs.
6	अग्रिम के समायोजन लेखा प्रस्तुत किए जाने की तारीख	डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई

भवदीय ,

[छात्र का हस्ताक्षर]

नाम स्पष्ट अक्षरों में -----

आईडी सं. -----

प्रोग्राम -----

सेमेस्टर-----

संपर्क सूत्र# -----

ई-मेल----- बैंक खाता विवरण

**संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की भारत एवं विदेश में आयोजित संगोष्ठियों/
सम्मेलनों/ कार्यशालाओं आदि में भागीदारी के समर्थन में मार्गदर्शन**

विश्वविद्यालय भारत एवं विदेश में आयोजित संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं आदि में संकाय सदस्यों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी को समर्थित करने में निम्नलिखित मार्गदर्शनों का अनुपालन करेगा :

क. सामान्य

1. वित्तीय सहायता पत्रों के प्रस्तुतीकरण, प्रमुख संभाषण एवं बीज वक्तव्यों के लिए होगी न कि पोस्टर प्रस्तुतीकरण एवं/अथवा मात्र चर्चा के लिए।
2. वित्तीय सहायता में पंजीकरण शुल्क एवं समीपस्थ मार्ग से इकोनमि क्लास से आने एवं जाने का हवाई किराया व्याप्त होगा।
3. संगोष्ठी/ सम्मेलन/ कार्यशाला की विषय-वस्तु को संबन्धित शिक्षक के शास्त्र अथवा विशेषज्ञता के क्षेत्र से प्रत्यक्षतः संबन्धित होना चाहिए।
4. डीन की समिति निर्णय लेगी कि किसी शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाये अथवा नहीं। जहां अध्यक्ष को किसी आवेदन पर अत्यावश्यक निर्णय लेना है उनके द्वारा इन मार्गदर्शनों पर विचार किया जाएगा तथा मामले को डीन की समिति की अगली बैठक में रिपोर्ट किया जाएगा।
5. अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शिक्षक को संगोष्ठी/ सम्मेलन/ कार्यशाला की तररीख से कम-से-कम तीन माह पूर्व एवं राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय संगोष्ठियों के लिए कम-से-कम एक माह पूर्व अपने एचओडी/ प्रभारी के माध्यम से तथा एचओडी/प्रभारी के मामले में संबन्धित डीन के माध्यम से डीन की समिति के अध्यक्ष के प्रति अवश्य आवेदन करना चाहिए। डीन के मामले में वे डीन की समिति के अध्यक्ष को सीधे आवेदन कर सकते हैं।
6. आवेदन के साथ सम्पूर्ण पेपर एवं पेपर के प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रण/ स्वीकार्यता पत्र की एक हार्ड प्रति एवं एक सॉफ्ट प्रति अवश्य संलग्न की जानी चाहिए।
7. लेखा के निपटारे में संगोष्ठी पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट एवं भागीदारी का प्रमाण पत्र वापसी के 15 दिनों के अंतर्गत अवश्य संलग्न की जानी चाहिए।
8. किसी भी संकाय सदस्य को एक वर्ष में संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं आदि में विश्वविद्यालय निधि-प्रदाय सहित अथवा रहित 14 दिनों से अधिक की भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्धारण छुट्टियों एवं अवकाश के दौरान उनकी भागीदारी पर लागू नहीं होगा।
9. उपरोक्त उद्देश्य से एक समय में एक ही शिक्षक को “कर्तव्य छुट्टी” स्वीकृत की जाएगी

ख. विशिष्ट

1. सभी स्थायी संकाय सदस्यों पर विचार डीन की समिति द्वारा वर्ष में एक बार किया जाएगा, जिन्हें देश के अंतर्गत संगोष्ठियों/ सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तथा देश के बाहर के मामले में ऐसा विचार तीन वर्षों में एक बार किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा देश के अंदर के संगोष्ठियों/ सम्मेलनों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में सहायता दिए जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 30 एवं देश के बाहर के लिए 5 होगी। यदि आवेदनों की संख्या अधिक हैं, तो डीन की समिति सहायक प्रोफेसरों के प्रति प्रथम वरीयता, एसोसिएट प्रोफेसरों के प्रति द्वितीय वरीयता एवं प्रोफेसरों को तृतीय वरीयता प्रदान करेगी।
3. विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता भारत के अंतर्गत संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं के लिए रु.20 हजार से अधिक तथा विदेश में ऐसे आयोजनों के लिए रु.1 लाख से अधिक नहीं होगी।
4. विदेश के संगोष्ठियों/ सम्मेलनों के लिए आंशिक सहायता आईसीएसएसआर, डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर, डीएई इत्यादि से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यदि कोई शिक्षक कम से कम 50% व्यय का प्रबंधन अन्य किसी श्रोत से करता है, तो वह 3 वर्षों के स्थान पर 1.5 वर्षों के बाद दूसरी भागीदारी के लिए योग्य होगा/होगी। यदि कोई शिक्षक 100% निधि प्रदायता अन्य श्रोतों से प्राप्त करता है तो वह उसी वर्ष में विश्वविद्यालय निधि प्रदायता के लिए योग्य होगा।

विदेश के संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं आदि में भाग लेने वाला कोई शिक्षक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दैनिक भत्ता पाने के योग्य होगा, परंतु कुल निधि प्रदायता, यात्रा एवं पंजीकरण सहित, रु.1 लाख से अधिक नहीं होगी। दैनिक भत्ता दरों का समायोजन निम्नानुसार होगा:

- a) यदि सभी भोजन मुफ्त उपलब्ध करवाए गए हों, दैनिक भत्ता का सिर्फ 25% देय होगा।
- b) यदि होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति अलग से की गई हो एवं इसमें जलपान सम्मिलित हो, तो दैनिक भत्ता घटकर 10% हो जाएगा।

महाविद्यालय विकास परिषद की ड्राफ्ट सांविधि

14-ए

(1) महाविद्यालय विकास परिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामतः:

- i. कुलपति; पदेन अध्यक्ष
- ii. प्रो-वाइस-चांसलर; पदेन
- iii. पोस्टग्रेजुएट विभाग से दो शिक्षकगण, जिनमें से एक विज्ञान से तथा दूसरा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान से होंगे, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;
- iv. सम्बद्ध महाविद्यालयों से दो प्राचार्यगण, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालय के होंगे तथा अन्य निजी/मिशनरी महाविद्यालयों से जिन्हें महाविद्यालयों की स्थापना की तारीख के क्रम में क्रमावर्तन द्वारा लिए जाएँगे;
- v. सम्बद्ध महाविद्यालयों से कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो शिक्षकगण
- vi. राज्य के लोक अनुदेशन/उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के निदेशक; पदेन
- vii. छात्र कल्याण के डीन; पदेन
- viii. वित्त अधिकारी; पदेन
- ix. परीक्षा नियंत्रक; पदेन
- x. पुस्तकालयाध्यक्ष; पदेन
- xi. रजिस्ट्रार; पदेन सचिव

**महाविद्यालय विकास परिषद
का संघटन**

(2) पदेन सदस्यों को छोड़कर महाविद्यालय विकास परिषद के सभी सदस्यगण, तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए कार्यालय का धारण करेंगे।

बीमारी, मृत्यु अथवा पदत्याग अथवा अन्यथा, के कारण हुई रिक्ति को यथाशीघ्र भरा जाएगा तथा इस प्रकार से नियुक्त सदस्यों की निरंतरता अवशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी।

**महाविद्यालय विकास परिषद के
सदस्यों का कार्यकाल**

(3) महाविद्यालय विकास परिषद के वास्तविक सदस्यों की एक-तिहाई संख्या से महाविद्यालय विकास परिषद की बैठकों के लिए कोरम का निर्माण होगा।

**महाविद्यालय विकास परिषद
की बैठक का कोरम**

(4) इस अधिनियम, सांविधियों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों की शर्त पर, महाविद्यालय विकास परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, नामतः

महाविद्यालय विकास परिषद की
शक्तियाँ एवं कर्तव्य

- i. विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर महाविद्यालयों में सामान्य शैक्षणिक मानकों में निरंतर सुधार की दृष्टि से विचारार्थ एक मंच उपलब्ध करवाना;
- ii. सम्बद्ध महाविद्यालयों को विकासात्मक परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता प्रदान करना जिसका वित्त-प्रबंध राज्य सरकार अथवा अन्य वित्त-प्रदाय अभिकरणों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाये;
- iii. सम्बद्ध महाविद्यालयों में वास्तविक सुविधाओं का छात्रों की संख्या एवं पढ़ाई के विषयों के संदर्भ में आवधिक रूप से मूल्यांकन करना तथा यूजीसी अथवा राज्य सरकार के प्रति इनके सुधार हेतु अनुशंसा करना;
- iv. सम्बद्ध महाविद्यालयों के शैक्षणिक कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना;
- v. परीक्षा प्रणालियों की समीक्षा करना तथा समय-समय पर नवाचार एवं सुधार हेतु सुझाव देना;
- vi. विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्रवाई करना;

विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान/ विषय/ अध्ययनों के पाठ्यक्रम पर अद्यतन प्रोफाइल तैयार एवं अनुरक्षण करना, वर्तमान सुविधाओं का परिशोधन करना उन जरूरतों एवं कमियों की पहचान करना जिनकी पूर्ति उनके विकास के लिए आवश्यक है।